मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | जबलपुर, शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-29, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बैन?

एजेन्सी, नई दिल्ली

त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने को लेकर दिए गए निर्देशों को लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पटाखों को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश दिए थे।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की। उसने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं होने से उसके आदेश सिर्फ सैद्धांतिक बनकर रह गए हैं। बार-बार नियमों का उल्लंघन होने से आदेशों का 'मजाक' बन रहा है।

कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा?

पीठ ने अधिकारियों से कहा, 'आपने वास्तव में क्या किया? जब तक आप हमें यह नहीं बता सकते



कि आपने क्या किया है, तब तक आदेश पारित करने का क्या मतलब है? फिर तो यह एक मजाक बन जाता है'। पीठ ने ने कहा कि निर्देशों के पालन और उनके असर से जुड़े ठोस आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

कोर्ट ने पूछा कि क्या पिछले साल उसके आदेशों के बाद गठित निगरानी टीमों ने वास्तव में उन इलाकों का दौरा किया था, जिनकी पहचान की गई थी। उसने यह भी पूछा कि टीमें कब वहां गईं और उन्होंने कौन-से आंकड़े जुटाए। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या उन इलाकों का कोई आकलन किया गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में तेज बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही, उन इलाकों का भी आकलन किया गया या नहीं, जहां एक्यूआई में ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की, 'अगले साल, जब हम यहां नहीं होंगे, तब आप किसी दूसरी पीठ के सामने इसी तरह की दलील देंगे'। उसने अधिकारियों से कहा कि वे अब उच्च स्तर पर सोचें। पीठ ने कहा कि यह मामला अधिकारियों के लिए किसी पक्ष और विपक्ष के बीच का विवाद नहीं है। यह हर जीवित प्राणी से जुड़ा है।

कोर्ट ने कहा, हम त्योहारों को लेकर जनता की भावनाओं को भी समझते हैं। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तार्किक बात कर रहे हैं कि हम वास्तव में किसी को नुकसान पहुंचाए बिना त्योहार कैसे मनाएंगे?

सौजन्य भेंट



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। मध्यप्रदेश प्राकृतिक संपदा, समृद्ध वन संपदा और जैव-विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्रों के संवर्धन, वन्य जीवों के संरक्षण तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

आजम खान को जमानत, लेकिन बाहर आना मुश्किल

एजेन्सी, नई दिल्ली



सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की 10 साल की सजा को हाईकोर्ट ने गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। दोनों को जमानत भी दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम और उनका बेटा अब्दुल्ला रामपुर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, आजम अभी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, यह साफ नहीं है। वजह, आजम के खिलाफ अभी 2 केस पेंडिंग हैं। आजम के खिलाफ एक मामला ईडी ने हाल ही में दर्ज किया है। दूसरा एक मामला 10 सितंबर का है, जिसमें यूपी विजिलेंस ने आजम के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगर इन मामलों में पुलिस वारंट-बी नहीं लेती है, तो आजम जेल से बाहर आ सकते हैं।

हालांकि, आजम जेल से बाहर आने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें रामपुर में अफसरों को तनखैय्या कहने के मामले में 2 साल की सजा है चुकी है। आजम को बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था।

543 दवाओं के दाम घटे, नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी

कैंसर का 80 हजार का इंजेक्शन 7 हजार में मिलेगा

एजेन्सी, नई दिल्ली

देश में कैंसर की 543 दवा ब्रांडों और पैक की कीमतों में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के फैसले के बाद 397 यानी 73% दवाओं के दाम घटाए गए हैं।

इनमें 217 दवाओं की कीमत आधे से भी कम हो गई है। 97 ब्रांड की दवाओं की कीमतों में 70% से ज्यादा और 50 में 80% से ज्यादा कटौती हुई है। पांच दवाओं की कीमतों में 90% से ज्यादा कटौती हुई है। सबसे बड़ी कटौती सैमटेपा इंजेक्शन में हुई है। इसकी कीमत 80,071 से घटाकर 7,150 कर दी गई है। पैलबोप्रो दवा के



21 कैप्सूल वाले पैक की कीमत 40,421 से घटकर 2,720 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NPPA से सवाल किया था कि दवाओं की कीमतों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? इसके बाद कंपनियों ने नई कीमतें जारी की हैं, जो 9 नवंबर से लागू होंगी। हालांकि, 146 ब्रांड-पैक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित किया है।

कैंसर दवाओं की ऊंची कीमत नरसंहार जैसी: सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि 2700 की कैंसर की दवा पर MRP 27,000 क्यों है। कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह नरसंहार है।

चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए

इजराइल संसदीय चुनाव में विदेशी दखल का शक

एजेन्सी, नई दिल्ली

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में विदेशी दखल की आशंका जताई गई है। चुनाव आयोग ने जांच एजेंसी 'शिन बेट' को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, एजेंसी एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को शक है कि कतर और तुर्किये से इजराइल और वेस्ट बैंक में पैसे भेजे गए। इनका इस्तेमाल अरब नागरिकों की फंडिंग के लिए किया गया। चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे दिन सभी बैलेट वोट की गिनती पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ दोहरे लिफाफों के वोटों की गिनती बाकी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्षी नेता आइजनकोट दोनों बहुमत से दूर हैं।



अब तक नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें, जबकि विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, अरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इजराइल में चुनाव नतीजों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बलाद पार्टी के प्रमुख सामी अबू शहादेह ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा, आप चुनाव हार गए हैं। घर जाइए। उन्होंने नेतन्याहू पर चुनाव में विदेशी दखलअंदाजी और वोट खरीदने के बेबुनियाद आरोप लगाकर नतीजों को खारिज करने का माहौल बनाने का आरोप लगाया।

डिजिटल धोखाधड़ी

'बैंक चूके तो करनी होगी पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई': सुप्रीम कोर्ट

एजेन्सी, नई दिल्ली

डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस बीच, व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अब तक 9,400 संदिग्ध खातों को प्रतिबंधित किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी संशोधन निदेशों की जांच करने की बात कही है। ये निर्देश 31 दिसंबर तक लागू किए जाने हैं। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने पर बैंकों का ग्राहकों के प्रति कर्तव्य है। उन्हें असामान्य लेनदेन के बारे में पड़ोसी पुलिस थानों को



तुरंत सूचित करना चाहिए। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। धोखाधड़ी के मामलों में उनकी निष्क्रियता स्वीकार्य नहीं होगी। यह सुनिश्चित करना बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनके ग्राहक सुरक्षित रहें।

अदालत ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा?

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि बैंकों द्वारा उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण किसी ग्राहक को डिजिटल धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, तो वित्तीय संस्थानों को पीड़ित के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वित्तीय संस्थानों का यह प्राथमिक वैधानिक कर्तव्य है कि वे अपने ग्राहकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करें। इस दौरान एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट एनएस नप्पिनई ने कोर्ट को बताया कि लगातार कोशिशों के बावजूद स्कैम जारी हैं। उन्होंने हाल की एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक महिला को ?2.5 करोड़ का नुकसान हुआ।

जमीन में गाड़ी थी गड्डियां

प्रयागराज में नीले ड्रम में मिले 5 करोड़ कैश

एजेन्सी, नई दिल्ली

प्रयागराज में जमीन के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए गड़े मिले। यह रकम 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों के रूप में तीन नीले ड्रमों में भरी थी। पुलिस को चोरी के पैसे होने का शक है। फिलहाल पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार किया है।

पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। अब आयकर विभाग की टीम इन नोटों की गिनती करेगी। मामला जिला मुख्यालय से 32 किमी दूर बरईपुर गांव का है। रकम बुधवार रात बरामद की गई।

नवाबगंज इलाके के बरईपुर गांव में राकेश यादव उर्फ महाकाल का पुश्तैनी मकान है। पुलिस को राकेश के घर में चोरी के रुपए जमीन में गाड़कर रखने का इनपुट मिला था। यह बात पुलिस



कमिश्नर पीयूष मोर्डिया तक पहुंची। इसके बाद बुधवार शाम 6 बजे डीसीपी (गंगानगर) सोनम कुमार और एडीसीपी पुष्कर वर्मा समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले पुलिस ने पूरे गांव की बिजली कटवा दी। फिर सर्च अभियान शुरू किया। इस दौरान सोरांव के एसीपी श्यामजीत प्रमिला सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक, घर की तलाशी के दौरान जमीन में दबाकर रखे गए 3 नीले ड्रम मिले। इसमें कपड़े से लपेटकर नोटों की गड्डियां रखी गई थीं। पुलिस ने कैश को कब्जे में लेकर घर सील कर दिया और घेराबंदी कर दी।

आंध्र प्रदेश में रेलवे पुल डूबा, एमपी-राजस्थान सहित 15 राज्यों में बारिश-ठंड बढ़ेगी

ओडिशा में साइक्लोन से बाढ़, 300 गांवों में लोग फंसे

एजेन्सी, जयपुर/लखनऊ/भोपाल/पटना

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अर्नब भले ही कमजोर पड़ गया है लेकिन देश भर में इसका असर जारी है। चक्रवात ने सबसे ज्यादा ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में करीब 6 लोगों की मौत हुई है।

ओडिशा के गंजाम जिले में लगातार 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। करीब 300 गांवों में बाढ़ आ गई है। राज्य सरकार इन इलाकों में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से निकालने की तैयारी कर रही है। राज्य में अब तक करीब 30 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

वहीं, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक रेलवे पुल पानी में डूब गया है, जिसके चलते दोनों ओर से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन फंसे यात्रियों को सड़क के रास्ते निकालने की तैयारी कर रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हजारों पेड़ गिर



गए हैं। कई पुल और सड़कें भी बह गई हैं। चक्रवात के असर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में भी बुधवार रात से बारिश हो रही है। इन राज्यों में अगले दो दिन बारिश जारी रह सकती है। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ के 12 और ओडिशा के 16 जिलों में गुरुवार को स्कूल बंद रखे गए हैं।





चार धामों में बर्फबारी, हेली सेवा रोकी

चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखने लगा है। उत्तराखंड के 7 जिलों में सुबह से रुक-रुककर बारिश हो रही है। इनमें देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी शामिल हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोक दी गई है।

चक्रवात अब डीप डिप्रेशन में बदला

चक्रवात अर्नब मंगलवार देर रात करीब 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात अर्नब कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। गुरुवार सुबह तक इसके डिप्रेशन और शाम तक कम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है।

न्यूज ब्रीफ

1 नवम्बर से भोपाल मंडल होकर पुणे-दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन का संचालन

भोपाल। त्योहारी सीजन एवं अन्य अवसरों पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गाड़ी संख्या 01441/01442 पुणे-दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के इटारसी स्टेशन पर ठहराव लेकर संचालित होगी। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है।

पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 01441)
गाड़ी संख्या 01441 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन (रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार) दिनांक 01 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक 09 ट्रिप संचालित होगी। यह ट्रेन पुणे स्टेशन से रात 19:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन पश्चिम मध्य रेल के इटारसी स्टेशन पर 11:15 बजे, पिपरिया 12:24 बजे, नरसिंहपुर 13:30 बजे, मदनमहल 15:30 बजे, कटनी 16:50 बजे, मैहर 17:43 बजे एवं सतना स्टेशन पर 18:50 बजे पहुंचेगी। इसके बाद तीसरे दिन सुबह 07:00 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी।

दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 01442)
वापसी में गाड़ी संख्या 01442 दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन (मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एवं सोमवार) दिनांक 03 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक 09 ट्रिप संचालित होगी। यह ट्रेन दानापुर स्टेशन से सुबह 08:30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन पश्चिम मध्य रेल के सतना स्टेशन पर 18:25 बजे, मैहर 18:50 बजे, कटनी 19:40 बजे, मदनमहल 22:00 बजे एवं नरसिंहपुर 23:05 बजे पहुंचेगी। अगले दिन पिपरिया स्टेशन पर 00:18 बजे तथा इटारसी स्टेशन पर 02:10 बजे पहुंचेगी। इसके बाद हड़पसर स्टेशन पर 17:35 बजे पहुंचेगी।

कोच संरचना: इस स्पेशल ट्रेन में 06 शयनयान श्रेणी, 10 सामान्य श्रेणी एवं 02 एसएलआरडी सहित कुल 18 कोच रहेंगे।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
यह ट्रेन रास्ते में हड़पसर, दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर जंक्शन, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदनमहल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रीगण स्पेशल ट्रेन के ठहराव एवं समय-सारणी की विस्तृत जानकारी संबंधित रेलवे स्टेशनों, एनटीईएस, रेल मदद हेल्पलाइन 139 अथवा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

हाई कोर्ट के निर्देश पर सतना में ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में निमार्णों पर कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निदेर्शों के पालन तथा विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा सतना जिले में ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में किए गए निमार्णों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में पांच ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माण करने पर संबंधित लोगों को कुल 94 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें अधिकांश निर्माण डिलौरा क्षेत्र के हैं। एमपी ट्रांसको द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लोगों को प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माण से होने वाले गंभीर विद्युत जोखिमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

पांच ट्रांसमिशन लाइनों के कॉरिडोर में निर्माण चिह्नित सतना में 132 केवी सतना सीमेंट, 132 केवी सतना-प्रिज्म सीमेंट, 132 केवी सतना-रामपुर, 132 केवी सतना-उचेहरा तथा 220 केवी सतना-कटनी ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में किए गए निमार्णों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। इन लाइनों के नीचे और आसपास सुरक्षा मानकों के विपरीत किए गए निमार्णों से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तेज हवा या अन्य कारणों से विद्युत तारों के झूलने की स्थिति में मकानों, दुकानों और अन्य संरचनाओं के समीप दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। तारों के सीधे संपर्क के अलावा विद्युत आर्क से भी जानलेवा हादसा हो सकता है।

सफलता की कहानी: पारंपरिक कला को आधुनिक रूप देकर प्राकृतिक सजावटी वस्तुओं का कर रहे निर्माण

बम्बू मैन भोपाल धर्मेंद्र रोहर: बांस शिल्प से साकार कर रहे पर्यावरण अनुकूल दीपावली का सपना

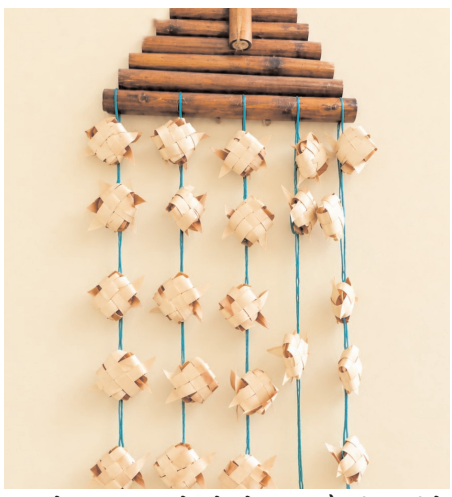
एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

दीपावली के पर्व पर घरों में साफ-सफाई के साथ सजावट की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बाजारों में रंग-बिरंगी सजावटी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में भोपाल के पारंपरिक बांस शिल्प कलाकार धर्मेंद्र रोहर अपनी रचनात्मकता और हुनर से बांस एवं अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से आकर्षक सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। उनकी कलाकृतियां न केवल घरों की सुंदरता बढ़ाने का विकल्प हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का संदेश भी देती हैं।

पारंपरिक शिल्प को दे रहे आधुनिक पहचान

मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के रहने वाले धर्मेंद्र रोहर पिछले 20 वर्षों से भोपाल में बांस शिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पारिवारिक शिल्प परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे बांस जैसी प्राकृतिक सामग्री से उपयोगी और आकर्षक कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं। उनकी बनाई गई तोरण, लटकन, लैंप और अन्य सजावटी वस्तुएं त्योहारों पर घरों को विशेष रूप देने का एक सुंदर विकल्प बन रही हैं।

धर्मेंद्र रोहर की विशेषता यह है कि वे पारंपरिक बांस शिल्प को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़कर नई पहचान दे रहे हैं। उनकी कलाकृतियों में उपयोगिता, सुंदरता और प्राकृतिक सामग्री का



बेहतर समन्वय देखने को मिलता है। दीपावली के अवसर पर दरवाजों पर लगाने वाली आकर्षक तोरण और घरों में सजावट के लिए तैयार की गई वस्तुएं उनकी रचनात्मक सोच और मेहनत का उदाहरण हैं।

पर्यावरण संरक्षण के साथ रचनात्मकता का संगम

आज जब पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है, तब धर्मेंद्र रोहर का बांस शिल्प एक सार्थक पहल के रूप में सामने आ रहा है। वे प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करने के साथ बची हुई सामग्री का पुनः इस्तेमाल कर सजावटी वस्तुएं तैयार करने पर भी जोर देते हैं। इससे सामग्री का बेहतर उपयोग होता है और पर्यावरण अनुकूल सजावट को प्रोत्साहन मिलता है। दीपावली पर रोशनी और सजावट के बीच बांस से बनी ये कलाकृतियां पारंपरिक शिल्प की खूबसूरती को सामने लाती हैं। उनका प्रयास है कि लोग सजावट के लिए प्राकृतिक सामग्री से बने उत्पादों को अपनाएं और स्थानीय शिल्पकारों की कला को प्रोत्साहित करें।

105 प्रकार की कलाकृतियों से हुनर को विस्तार

धर्मेंद्र रोहर अब तक बांस शिल्प की 105 प्रकार की कलाकृतियां अलग-अलग डिजाइनों में तैयार कर चुके हैं। वे विभिन्न त्योहारों और अवसरों के अनुरूप सजावटी वस्तुओं के नए स्वरूप विकसित करते हैं। उनकी रचनात्मकता साधारण बांस और अन्य उपलब्ध सामग्रियों को आकर्षक कलाकृतियों में बदलने की क्षमता को दशार्ती है।

धर्मेंद्र का मानना है कि रचनात्मक सोच, निरंतर अभ्यास और मेहनत से साधारण सामग्री को भी सुंदर एवं उपयोगी रूप दिया जा सकता है। उनका कार्य पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और स्थानीय कला को प्रासंगिक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

95 कार्यशालाओं के माध्यम से हुनर का प्रसार

बांस शिल्प को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से धर्मेंद्र रोहर अब तक 95 कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं। इन कार्यशालाओं में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए हैं। कार्यशालाओं के माध्यम से वे प्रतिभागियों को बांस शिल्प की बारीकियों, रचनात्मक उपयोग और इससे आकर्षक वस्तुएं तैयार करने की प्रक्रिया से परिचित कराते हैं। उनका यह प्रयास केवल कलाकृतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पारंपरिक हुनर को साझा करने, लोगों में रचनात्मकता विकसित करने और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

स्थानीय कला और आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल

बम्बू मैन भोपाल के रूप में पहचान बना रहे धर्मेंद्र रोहर की यात्रा बताती है कि पारंपरिक कला को आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़कर नई संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। बांस शिल्प के प्रति उनका समर्पण स्थानीय हस्तशिल्प, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने का प्रेरक उदाहरण है।

दीपावली के इस अवसर पर धर्मेंद्र रोहर की प्राकृतिक सामग्रियों से बनी कलाकृतियां यह संदेश देती हैं कि त्योहारों की सजावट को सुंदर बनाने के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई जा सकती है। उनका हुनर पारंपरिक विरासत को संजोने और उसे आधुनिक जीवनशैली में स्थान दिलाने की प्रेरणा देता है।

भोपाल मंडल पर पेंशनर्स के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविरों का आयोजन

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

1 से 30 नवंबर तक भोपाल मंडल के पांच चिकित्सा संस्थानों में लगेंगे प्रत्यक्ष प्रदर्शन विशेष शिविर, साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए भी किया जाएगा जागरूक

पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ अजय डोगरा और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री विजय सिंह के निर्देशन में पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रत्यक्ष प्रदर्शन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों का आयोजन मंडल रेल चिकित्सालय निशातपुरा, पॉलीक्लीनिक हबीबगंज तथा उप चिकित्सालय बीना, गुना एवं इटारसी में किया जाएगा। शिविरों के माध्यम से पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को स्वास्थ्य जांच और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया जायेगा। शिविरों का आयोजन मंडल रेल चिकित्सालय निशातपुरा, पॉलीक्लीनिक हबीबगंज तथा उप चिकित्सालय बीना, गुना एवं इटारसी में कार्यदिवसों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया जाएगा।

शिविरों में विशेष रूप से 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को कर्मचारी कल्याण निरीक्षकों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें स्वास्थ्य जांच कराने और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

शिविरों के दौरान पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी संदेशों तथा ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने से बचने के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वे डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित उपयोग कर सकें। साथ ही भोपाल मंडल के भोपाल, इटारसी, बीना, गुना एवं हरदा स्टेशनों पर भी कर्मचारी कल्याण निरीक्षकों द्वारा भी पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की जानकारी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जायेगा। इस पहल से पेंशनर्स को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा मिल रही है।

सीनियर डीसीएम श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को सरल, सुलभ एवं सुविधाजनक तरीके से आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण का ध्यान रखना है।

जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों को करें सुदृढ़: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), एनीमिया मुक्त भारत अभियान एवं आशा कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिला चिकित्सालयों में संचालित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने तथा रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीएसके 2.0 पोर्टल पर 4डी के अंतर्गत चिन्हित बच्चों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार पूर्ण होने तक की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करने को कहा। उन्होंने बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं एवं बीमारियों की प्रारंभिक पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।



एनीमिया की पहचान और उपचार का नियमित फॉलोअप करें

एनीमिया मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने एएनएम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के माध्यम से एनीमिया की आशंका वाले सभी पात्र हितग्राहियों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनीमिया की पुष्टि होने पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार उपलब्ध कराने तथा उपचार के बाद नियमित फॉलोअप करने को कहा। साथ ही, हितग्राहियों की उपचार संबंधी प्रगति का समुचित अभिलेखीकरण और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आशा कार्यक्रम की समीक्षा की। बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 63,371 ग्रामीण आशा कार्यकर्ता, 5,051 आशा पर्यवेक्षक तथा 4,125 शहरी आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में आशा कार्यकताओं की आवश्यकता का आकलन कर आवश्यकतानुसार नवीन नियुक्तियों की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकताओं की प्रभावी उपलब्धता से समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य गतिविधियों को सुदृढ़ करने तथा आमजन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सहायता मिलेगी। बैठक में वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ प्रभाकर तिवारी, डॉ निधि शर्मा, डॉ राकेश बोहरे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैरसिया की ग्राम पंचायतों में आज परखी जाएंगी शासकीय संस्थाओं की व्यवस्थाएं

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

ग्राम पंचायतवार अधिकारियों को सौंपे दायित्व, जिला जीआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज होगी निरीक्षण की जानकारी

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान - 2026 के अंतर्गत 30 अक्टूबर को तहसील बैरसिया की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय विद्यालयों, उचित मूल्य की दुकानों, छात्रावासों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। निरीक्षण की जानकारी जिला जीआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी।

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ग्राम पंचायतवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें खाद्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, कृषि, नापतौल, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कार्य, शिक्षा, लोक निर्माण, मत्स्य, उद्यानिकी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, विद्युत, जल संसाधन, खनिज एवं बैंकिंग विभाग के अधिकारी शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गंगा पिपलिया, जूनापानी, रोंडिया, इजगिरी, दिल्लोद, पारदी, ऊंटखेड़ा, बरींबगराज, हिनोती सड़क, रतुआ रतनपुर, रोंजिया बाज्याप्त, भेंसखेड़ा, सुकलिया, कोटरा चोपड़ा, खादमपुर, गुनगा, मनीखेड़ी गुनगा, जैतपुरा, करोंदिया, पीपलखेड़ा एवं उनीदा सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में निरीक्षण किया जाएगा।

निरीक्षण का उद्देश्य शासकीय संस्थाओं में सेवाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं का आकलन कर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि पर आवंटित ग्राम पंचायतों में निरीक्षण करने तथा जिला जीआईएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान- 2026 का संचालन 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक किया जा रहा है। शासन के निदेर्शानुसार अभियान के तहत शिविर के दिन शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री पर भी रखी जाएगी निगरानी, जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक सुरक्षा, मानव जीवन की रक्षा तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत भोपाल जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व सीमाओं में कार्बाइड गन तथा कैल्शियम कार्बाइड एवं पानी की रासायनिक अभिक्रिया से गैस उत्पन्न कर धमाका करने वाले अन्य समान प्रकृति के उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

निर्माण से लेकर परिवहन तक प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बाइड गन और इस प्रकार के अन्य उपकरणों के निर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, प्रदर्शन एवं परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। यह कदम खतरनाक उपकरणों के उपयोग से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने तथा आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आदेश में कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विक्रय केवल वैध कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा। बच्चों, आम व्यक्तियों अथवा अन्य गैर-अधिकृत उद्देश्यों के लिए इसकी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। कैल्शियम कार्बाइड बेचने वाले दुकानदारों को खरीदार का नाम, पता, खरीदी गई मात्रा तथा उपयोग का उद्देश्य सहित संपूर्ण विवरण का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से संधारित करना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अभिभावकों, दुकानदारों, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से अपेक्षा की है कि वे बच्चों को कार्बाइड गन जैसे खतरनाक उपकरणों के उपयोग से रोकें और जनसुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।

भोपाल देहात में कार्बाइड गन के निर्माण विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध: पुलिस अधीक्षक

बैरसिया। भोपाल देहात पुलिस ने जनसुरक्षा और लोकशांति बनाए रखने के लिए कार्बाइड गन के निर्माण,विक्रय, वितरण, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देते हुए आमजन से इसका पालन करने की अपील की है। जिला दण्डाधिकारी,भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व सीमाओं में इन उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार, कार्बाइड गन और कैल्शियम कार्बाइड से गैस उत्पन्न कर धमाका करने वाले उपकरण गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इनसे निकलने वाली तेज आवाज और धमाके से कानों,आंखों तथा शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपकरण खतरा बन सकते हैं।

वैध उपयोग के लिए बिक्री पर भी रखनी होगी नजर

आदेश के तहत कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार वैध कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए ही की जा सकेगी। विक्रेताओं को सामग्री खरीदने वाले व्यक्ति का नाम-पता, बेची गई मात्रा और उपयोग के उद्देश्य का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, ताकि इसके दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके।

न्यूज ब्रीफ

ट्रांसकों के मुख्य अभियंता धीरेंद्र सिंह एवं प्रदीप सचान आज सेवानिवृत्त होंगे



जबलपुर। एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन धीरेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर प्रदीप सचान एवं मुख्य अभियंता प्रोक्योरमेंट में कार्यरत राम नारायण कुशवाहा भृत्य मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की दीर्घकालीन सेवाओं के उपरांत 30अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं

दमोह सांसद पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरक्षक निलंबित

जबलपुर। दमोह सांसद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार आरक्षक (2268) रत्नेश तिवारी निवासी जिला दमोह की वर्तमान पदस्थापना पुलिस लाईन जबलपुर में थी। वह गत 15 अक्टूबर से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। पुलिस के मुताबिक आरक्षक रत्नेश के द्वारा वायरल वीडियो के माध्यम से जिला दमोह के सांसद राहुल सिंह के विरूद्ध अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी की गई। उक्त वायरल वीडियो में की गई अनुशासनहीनता के कारण आरक्षक रत्नेश तिवारी को कार्यालयीन आदेश के माध्यम से बुधवार को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आरक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की भी तैयारी है।

चेक बाउंस मामले में टेंट डेकोरेटर को 6 माह की जेल

जबलपुर। चेक बाउंस के मामले में जिला न्यायालय ने अग्रवाल टेंट डेकोरेटर्स के संचालक सचिन अग्रवाल को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने आरोपी को परिवादी पीयूष जैन को 2 लाख 71 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश भी दिया है। निर्धारित प्रतिकर राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।प्रकरण के अनुसार, चरहाई (बड़ा फुहारा), जबलपुर निवासी पीयूष जैन ने त्रिमूर्ति नगर निवासी सचिन अग्रवाल को 14 मई 2019 को दो लाख पांच हजार रुपये उधार दिए थे। आरोपी ने 10 नवंबर 2019 तक रकम लौटाने का आश्वासन दिया था। तय समय पर राशि वापस नहीं मिलने पर परिवादी ने कई बार भुगतान के लिए प्रयास किए।

नर्मदा भवन के पास गिरने से घायल व्यक्ति की मौत

जबलपुर। तिलवारा थाना क्षेत्र में खेरमाई मंदिर के पास नर्मदा भवन, रमनगरा के समीप गिरने से सिर में चोट लगने के बाद उपचाररत एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक, करीब 35 वर्षीय राजा को 25 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे गिरने से सिर में चोट लगी थी। उसे 27 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान 28 अक्टूबर की रात करीब 2.15 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता और स्थायी पते की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खड़े ट्रक से 200 लीटर डीजल चोरी, मामला दर्ज

जबलपुर। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर महाकाल ढाबा, मनकेड़ी के पास खड़े ट्रक के टैंक से करीब 200 लीटर डीजल चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ट्रक मालिक की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज निवासी माधव ओड़ ने शिकायत में बताया कि उसका ट्रक क्रमांक एमपी 04 वाईडी 3914 चालक गोविंद के साथ रायपुर से भोपाल जा रहा था। चालक ने उसे फोन पर बताया कि 1 सितंबर की रात करीब एक बजे उसने ट्रक मनकेड़ी के पास महाकाल ढाबे के नजदीक खड़ा किया था और उसी में सो गया था।

निगमायुक्त ने स्वास्थ्य अमले को दिए सख्त निर्देश

शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने नगर निगम आयुक्त अग्रिम कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 दिन में सुधार लाने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग, बीट प्लान के अनुसार कार्य, कचरे के व्यवस्थित निष्पादन और मैदानी स्तर पर किए गए कार्यों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। बार-बार समझाइश के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सफाई संबंधी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निराकरण करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि शहर के सभी क्षेत्रों में सफाई कार्य निर्धारित बीट प्लान और चेकलिस्ट के आधार पर कराए जाएं। प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी तय करने के साथ कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। कचरे को मनमाने ढंग से डंप करने के बजाय निर्धारित



स्थलों पर एकत्रित कर उसका उचित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए संबंधित क्षेत्रों के नजरी नक्शे तैयार करने और कार्यों का सत्यापन कराने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि केवल सफाई कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता की जांच और नियमित मॉनिटरिंग भी जरूरी है। इसके लिए इन-आउट कंप्लायंस सुनिश्चित करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में कार्य-संस्कृति और प्रशासनिक अनुशासन सुधारने पर भी जोर दिया गया। निगमायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने निर्धारित दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें।

गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा स्पॉट फाइन

सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने के लिए नागरिकों की सहभागिता को जरूरी बताते हुए निगमायुक्त ने लोगों को लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार समझाइश के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार स्पॉट फाइन किया जाए। निगमायुक्त ने सफाई मित्रों की सुविधाओं और सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई मित्रों को काम के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें नियमानुसार समय पर वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाए। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगमायुक्त ने सफाई संबंधी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का 24 घंटे के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें और किए गए कार्य का सत्यापन भी सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को वास्तविक राहत मिल सके।

सूर्य हाफ मैराथन में दौड़ेगा जबलपुर, सेना-प्रशासन संगठनों ने मिलाया हाथ



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

शहर में स्वास्थ्य, फिटनेस और सामुदायिक एकता का संदेश देने के लिए 22 नवंबर को सूर्य हाफ मैराथन 2026 का आयोजन कोबरा ग्राउंड, सिविल लाइंस, जबलपुर में किया जाएगा। इसे भव्य और यादगार बनाने के लिए भारतीय सेना, नागरिक प्रशासन, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने हाथ मिलाया है। आयोजन की तैयारियों और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 28 अक्टूबर को मुख्यालय मध्य भारत एरिया, जबलपुर छावनी में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मध्य भारत एरिया के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल संजय गौतम ने की। इसमें मैराथन के सुचारु संचालन, व्यवस्थाओं, प्रायोजन और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय को लेकर चर्चा हुई। आयोजन के माध्यम से जबलपुर की पर्यटन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, नागरिक-सैन्य संबंधों को मजबूत करने और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से प्रदेश महामंत्री जितेंद्र पचौरी, संभागीय अध्यक्ष दीपक सेठी, जिला उपाध्यक्ष मनु शरत तिवारी और जिला संरक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स, रोटरी, होटल उद्योग, औद्योगिक संगठनों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की।

1700 किमी सप्लाई नेटवर्क में 20 प्रतिशत पुरानी लाईनों का हिसाब किताब नहीं

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

शहर में पेयजल व्यवस्था को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है। नगर निगम के पास लगभग 340 किलोमीटर पेयजल सप्लाई पाइपलाइन का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि शहर में पेयजल की 60 से 80 प्रतिशत पाइपलाइन नाली-नालों से होकर गुजर रही हैं। ऐसे में पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों से दूषित पानी की आपूर्ति होने की आशंका बढ़ गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे के अनुसार, जबलपुर में लगभग 1700 किलोमीटर लंबी पेयजल सप्लाई पाइपलाइन है। इसमें करीब 20 प्रतिशत पुरानी पाइपलाइन ऐसी हैं,



जिनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अमृत 1.0 योजना से पहले नगर निगम ने भूमिगत पाइपलाइनों का समुचित डेटा या मैप तैयार नहीं किया था। इसके कारण लीकेज होने पर पाइपलाइन का पता लगाने के लिए अनुमान के आधार पर जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। मंच का कहना है कि नाली-नालों से गुजरने वाली पाइपलाइनों के कारण नागरिकों को दूषित पेयजल मिलने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद नगर निगम के पास इन पाइपलाइनों को बदलने की कोई ठोस योजना नहीं है और न ही इस संबंध में डीपीआर तैयार की गई है। इस मुद्दे पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच पिछले पांच दिनों से नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करने का प्रयास कर रहा है। मंच के अनुसार, आयुक्त ने स्वयं मुलाकात करने के बजाय अतिरिक्त आयुक्त एच.एन. बाजपेयी को चर्चा के लिए भेज दिया। इससे समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस चर्चा नहीं हो सकी। मंच ने पेयजल पाइपलाइनों का रिकॉर्ड तैयार करने, नाली-नालों से गुजर रही लाइनों को बदलने और दूषित पेयजल की आशंका दूर करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की मांग की है।

एक ही इमारत में संचालित हो रहा स्कूल और शराब दुकान

सरकार से जवाब-तलब, लंबित शिकायत पर अगली सुनवाई से पहले फैसला लेने के निर्देश

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्तपीठ ने जबलपुर के संजीवनी नगर में एक ही बिल्डिंग में स्कूल और शराब दुकान संचालित होने के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में राज्य सरकार सहित सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निदेश दिया है। इसके साथ ही संयुक्तपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर को 23 मार्च 2026 को दिए गए लंबित आवेदन पर अगली सुनवाई से पहले निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को नियत की गई है। संजीवनी नगर निवासी अजय पटेल की ओर से दायर जनहित याचिका में उल्लेख कियि गया है कि क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर स्थित एक बिल्डिंग में शराब दुकान संचालित हो रही है,



जबकि उसी भवन के दूसरे हिस्से में संस्कार भारती नाम से स्कूल चल रहा है। याचिका में आरोपित है कि एक ही भवन में शैक्षणिक संस्थान और शराब दुकान का संचालन लागू नियमों के विपरीत है। इस संबंध में जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण ली गई है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

केस वापसी पर हाईकोर्ट तय करेगा अधिकार क्षेत्र

विशेष अदालत का फैसला पर्याप्त या हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी, 4 नवंबर को अगली सुनवाई

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्य प्रदेश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की वापसी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर विचार करेगा। अदालत तय करेगी कि राज्य सरकार यदि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआपीसी) की धारा 321 के तहत किसी आपराधिक मुकदमे को वापस लेने का निर्णय करती है, तो इस पर अंतिम फैसला संबंधित विशेष अदालत करेगी या इसके लिए हाईकोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 22 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दर्ज जनहित याचिका से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित



आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे। इसी के अनुपालन में दर्ज याचिका के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरणों की स्थिति और उनके शीघ्र निराकरण पर नजर रखी जा रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने पिछली स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर बताया कि प्रदेश में सांसदों और विधायकों से संबंधित कुल 19 आपराधिक मामले लंबित थे।

आजाद नगर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जबलपुर के रांझी थानांतर्गत गोकलपुर वार्ड के आजाद नगर में विगत दिनों धार्मिक आयोजन के दौरान हुए खूनी संघर्ष और पारस यादव की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी समीर बंशकार और उसके परिजनों के कथित अवैध निर्माणों पर गुरुवार को जिला प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में शासकीय भूमि पर बने मकानों और दुकानों सहित चिह्नित अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही की। प्रात जानकारी के अनुसार वारदात के बाद की गई प्रशासनिक जांच में ज्ञात हुआ था कि मुख्य आरोपी समीर बंशकार



और उसके परिजनों ने नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, वाचनालय और दुर्गा मंदिर के सामने स्थित खाली शासकीय भूमि पर कथित तौर पर दुकानें और मकान बना रखे थे। इसके अलावा क्षेत्र में सुअर पालन किए जाने की बात भी सामने आई थी। पंप हाउस पर कब्जा कर अवैध रूप से रहने और शासकीय क्वार्टरों पर भी कब्जा होने की जानकारी भी मिली थी। लिहाजा पूरी छानबीन के बाद इन अतिक्रमणों को चिह्नित करने के बाद प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की इस कार्रवाई को रविवार रात हुई वारदात के बाद क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा की गई मांगों से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब हो कि रविवार रात रांझी आजाद नगर क्षेत्र में नवरात्र के बाद भंडारे का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान कुछ युवक तेज रफ्तार से बाइक लेकर वहां से निकले।

पश्चिम मध्य रेल
वाणिज्य विभाग जबलपुर मंडल
क्र. जबल/सी/170/ई–ऑक्शन/विविध/26
दिनांक: 27.10.2026
वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक जबलपुर द्वारा IREPS पर पंजीकृत संस्थाओ से ई–ऑक्शन के माध्यम से सामान्य भुगतान और उपयोग वाले शौचालय का संचालन हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जा रही है। ऑक्शन कैटेलाग को IREPS की वेबसाइट www.ireps.gov.in. पर प्रकाशित किया जा चुका है जबलपुर मंडल के आगामी ई–ऑक्शन का विवरण निम्नवत है, **श्रेणी:** पे एंड यूज, **कैटेलाग** : JBP-PayUse-Nor, **एसेट विवरण** : पिपरिया स्टेशन में सामान्य भुगतान और उपयोग शौचालय का संचालन।, **ऑक्शन प्रारंभ:** 12.11.2026, 12:30 hrs, **ऑक्शन समापन:** 12.11.2026, 13:10 hrs, **एसेट विवरण** : सिहोरा रोड स्टेशन में सामान्य भुगतान और उपयोग शौचालय का संचालन।, **ऑक्शन प्रारंभ:** 12.11.2026, 12:30 hrs, **ऑक्शन समापन:** 12.11.2026, 13:20 hrs, **1.** बोलीदाताओ को सलाह दी जाती है कि ई–ऑक्शन से सम्बन्धित जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in. देखे ।, **2.** उक्त ई–ऑक्शन आई. आर. ई.पी.एस. (IREPS) के ई–ऑक्शन मोड्यूल के माध्यम से आमंत्रित किया गया है।, **3.** ई–ऑक्शन सम्बन्धित समस्त जानकारी जैसे पात्रता, कार्य का दायरा, ठेके की अवधि, नियम एवं शर्तें आदि आई. आर. ई.पी.एस. (IREPS) की वेबसाइट www.ireps.gov.in. पर उपलब्ध है।, **4.** बोलीदाता IREPS में उल्लेखित दिनांक एवं समय के अनुसार ही ई–ऑक्शन में भाग ले सकते है।, **5.** सभी संभावित बोली दाताओ से अनुरोध है कि ई–ऑक्शन से सम्बन्धित किसी भी शुद्धिपत्र हेतु नियमित रूप से रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in. का अवलोकन करते रहे।
(हस्ता.)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार में स्टंट करने वाले 5 वाहन मालिकों और चालकों पर केस

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद बेलबाग पुलिस की कार्रवाई, 3 कारें जब्त

एक सत बुलेटिन, गोटेगांव

शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ जबलपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर खतरनाक तरीके से कारें चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद बेलबाग पुलिस ने जांच कर पांच वाहनों के मालिकों और चालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने तीन कारें जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार, 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर कुछ कार चालकों द्वारा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का वीडियो सामने आया था। वीडियो की जांच के दौरान बेलबाग पुलिस ने आसपास की दुकानों से जानकारी



जुटाई और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इसमें घटनास्थल थाना बेलबाग क्षेत्र का होना पाया गया। इसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहे वाहनों और उनके मालिकों तथा चालकों की पहचान की गई।

जांच में मारुति फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडपी 2660 के मालिक अभिजीत जाट निवासी दुर्गा मंदिर, बेलबाग और चालक 23 वर्षीय गौरव उर्फ प्रिंस विश्वकर्मा, निवासी बड़ी खेरमाई, हनुमानताल की पहचान हुई। दूसरी मारुति फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडजे 2375 के मालिक श्रीराम जाट निवासी बेलबाग और चालक पीयूष जाट निवासी कंजर मोहल्ला, बेलबाग बताए गए।

वहीं, काले रंग की थार क्रमांक एमपी 20 जेडएक्स 9124 की स्वामिनी मीनाक्षी जाट निवासी बेलबाग और चालक सत्यजीत जाट निवासी कंजर मोहल्ला, बेलबाग की पहचान की गई। इसके अलावा स्विफ्ट कार क्रमांक एमपी 20 जेडडी 3437 और फॉर्च्यूनर कार क्रमांक एमपी 20 सीएफ 2710 के चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई।

पुलिस ने संबंधित वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66(1)/192(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामले में फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडजे 2375, थार क्रमांक एमपी 20 जेडएक्स 9124 और फ्रॉन्क्स कार क्रमांक एमपी 20 जेडपी 2660 जब्त की गई हैं। प्रकरण की विवेचना जारी है।

संपादकीय

हलफनामे में सवाल यथावत

सर्वोच्च अदालत में दाखिल चुनाव आयोग के 248 पन्नों के हलफनामे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। दो चुनाव आयुक्तों-सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी-ने इंडियन एक्सप्रेस की खोजी खबर में जो 14 आपत्तियां उठाई थीं, उन्हें भी खारिज नहीं किया गया है। उनके आंशिक, अधूरे जवाब ही सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने उन खबरों का खंडन आज तक नहीं किया है। बेहद महत्वपूर्ण फॉर्म 6 पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण नकली लगता है। आयोग का जवाब है कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अलग घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। उसे ऑनलाइन फॉर्म के साथ दिखाने से बदलाव का आभास हो सकता था। एक ओटीपी, ई-साइन से आवेदन पूरा करने के लिए दोनों को साथ रखा गया था। आयोग ने 21 अक्तूबर को ऑनलाइन आवेदन भी दो हिस्सों में रखने का फैसला किया। आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि एसआईआर के तीनों आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दोनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी किए गए। सवाल यह है कि आयुक्तों ने 10 माह के दौरान आपत्तियां दर्ज क्यों कराईं? फॉर्म 6 में बदलाव को अवैध और अनधिकृत करार क्यों दिया?

चूंकि चुनाव आयोग के एक प्रेस नोट में कहा गया था कि फॉर्म 6 में बदलाव को सर्वोच्च अदालत की मंजूरी भी थी, जिसे न्यायिक पीठ ने खारिज किया, लिहाजा सवाल यथावत है कि वह बदलाव किसके आदेश पर किया गया? क्या उसमें भी तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति थी? पश्चिम बंगाल में 16 लाख से अधिक फॉर्म 7 के आवेदन सामने आए, जो मतदाताओं के नाम काटने, हटाने के लिए किए गए थे। हलफनामे में जवाब दिया गया कि वह बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के दफ्तर के स्तर पर किया गया। क्या यह संभव है? सीईओ ने उन 16 लाख लोगों का चयन कैसे और कहां किया? क्या उन्हें कोई आर्थिक लालच दिया गया? इतने बड़े स्तर पर मतदाताओं के नाम काटने के आवेदन ऊपर के निर्देश के बिना संभव नहीं हैं। इनके अलावा, एसआईआर के दौरान इतनी भयंकर गलतियां और विसंगतियां सामने आई हैं, उनसे लगता है कि चुनाव आयोग आंख मूंद कर और मस्तिष्क की तालाबंदी कर ही काम करता है।

उप्र में ऐसे 3 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, जो आयोग की नालायकी को बयां करते हैं। किसी एक नाम की 315 अथवा 420 प्रविष्टियां सूची में कर दी गईं। किसी एक नाम की 1300 से अधिक बार मतदाता सूची में एंट्री कर दी गई है। इन अक्षम्य गलतियों की शिकायत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फरवरी, 2026 में की थी। शुक्र है कि चुनाव आयोग ने 8 महीनों के बाद इन्हें स्वीकार कर लिया और अब फिर शुद्धिकरण की कवायद जारी है। उप्र के सीईओ नवदीप रिणवा ने कुछ और विसगतियों तथा भाषायी विद्रूपता पर माफी मांगी है। चुनाव आयोग को कुछ सद्बुद्धि आई है! बहरहाल चुनाव आयोग और एसआईआर से जुड़े जो सवाल और आपत्तियां यथावत बरकरार हैं, अब वे सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन हैं। मंगलवार, 27 अक्तूबर, को सिर्फ इतना ही काम हुआ कि अदालत ने आयोग के हलफनामे पर जवाब देने के लिए याचिकाकताओं को 10 दिन का समय दिया है। अगली तारीख 17 नवंबर है। अदालत कब तक फैसला सुनाएगी, क्या फैसला होगा, क्या छीना गया मताधिकार बहाल हो सकेगा, एसआईआर का भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ अनिश्चित हैं। बहरहाल मताधिकार छीनने को लेकर चुनाव आयोग का जो चेहरा बेनकाब हुआ है, उससे असंख्य भारतीयों के मोहभंग हुए होंगे! आयोग की छवि भी दरकी है। चुनाव आयोग ने पहली बार एसआईआर का अभियान शुरू किया था, उसमें यह सवाल उभर कर सामने आया है कि जिन राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए गए, फिर चुनाव कराए गए, जनादेश भी आ गया, सरकार भी बन गई, उसके बाद कानूनी समीक्षा में जो नाम पात्र मतदाता साबित हुए और जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज करने पड़े, तो क्या उस जनादेश को समग्र माना जाए? चुनाव नतीजों में मतों के जो फासले थे, उनसे अधिक पात्र मतदाता जुड़ गए, तो उस जनादेश को चोरी का जनादेश माना जाए? उम्मीद है कि शीर्ष अदालत इस पहलू पर भी विचार करेगी।

आईपीओः पूँजी बाजार के विकास का आधार और निवेशकों के भरोसे की कसौटी

डॉ. सत्यवान सौरभ

> पूँजी बाजार के विकास में आईपीओ का एक अन्य योगदान बाजार की गहराई और विविधता बढ़ाना है। जब अधिक कंपनियाँ सूचीबद्ध होती है तो निवेशकों के सामने विभिन्न क्षेत्रों, व्यावसायिक मॉडलों और विकास संभावनाओं वाले निवेश विकल्प उपलब्ध होते हैं। इससे बाजार में पूँजी का वितरण अधिक व्यापक हो सकता है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एनएसई इमर्ज तथा बीएसई एसएमई जैसे मंच विशेष महत्त्व रखते हैं।

भारत में पूँजी बाजार का विस्तार आर्थिक विकास, उद्यमशीलता और निवेश संस्कृति के बदलते स्वरूप का महत्त्वपूर्ण संकेतक है। पिछले कुछ वर्षों में शेयर बाजार के प्रति आम नागरिकों की रुचि बढ़ी है और कंपनियों ने अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक बाजार से पूँजी जुटाने का विकल्प अधिक अपनाया है। इसी प्रक्रिया में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो गई है।

आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई कंपनी पहली बार आम निवेशकों को अपने शेयर खरीदने का अवसर देती है। इससे कंपनियों को पूँजी प्राप्त होती है और निवेशकों को उनके विकास में भागीदार बनने का अवसर मिलता है। वित्त वर्ष 2025झ्र26 में भारत के मुख्य बोर्ड के आईपीओ के माध्यम से लगभग 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाने का आँकड़ा पूँजी बाजार में बढ़ती गतिविधियों को रेखांकित करता है। हालाँकि, आईपीओ की सफलता का मूल्यांकन केवल जुटाई गई राशि से नहीं बल्कि उससे उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक आर्थिक लाभ और निवेशकों के हितों की सुरक्षा से भी किया जाना चाहिए।

आईपीओ का सबसे प्रमुख योगदान पूँजी जुटाने की प्रक्रिया को व्यापक बनाना है। किसी कंपनी को अपने कारोबार का विस्तार करने, नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने, आधुनिक तकनीक अपनाने, अनुसंधान करने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। बैंक ऋण और अन्य वित्तीय साधनों के अतिरिक्त शेयर बाजार उसे इक्विटी पूँजी जुटाने का अवसर प्रदान करता है। नई प्रतिभूतियों के निर्गम से प्राप्त धनराशि का उपयोग कंपनी अपनी व्यावसायिक योजनाओं के लिए कर सकती है। इससे ऋण पर निर्भरता कम करने और वित्तीय संरचना को मजबूत बनाने में भी सहायता मिल सकती है। जब कंपनियाँ उत्पादक गतिविधियों में पूँजी लगाती हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।

आईपीओ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले शेयर बाजार में भागीदारी को प्रायः बड़े निवेशकों और संपन्न वर्ग तक सीमित माना जाता था लेकिन डिजिटल निवेश मंचों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाओं और व्यापक वित्तीय जागरूकता ने आम नागरिकों के लिए बाजार तक पहुँच आसान बनाई है। अब छोटे निवेशक भी अपनी बचत का एक हिस्सा कंपनियों में निवेश करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। इससे बचत को उत्पादक निवेश में बदलने की संभावना बढ़ती है। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि शेयर बाजार में भागीदारी अपने आप में वित्तीय समावेशन की पूर्ण उपलब्धि नहीं है। इसके लिए निवेशकों को वित्तीय ज्ञान, जोखिम की समझ और उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना भी जरूरी है।

पूँजी बाजार के विकास में आईपीओ का एक अन्य योगदान बाजार की गहराई और विविधता बढ़ाना है। जब अधिक कंपनियाँ सूचीबद्ध होती है तो निवेशकों के सामने विभिन्न क्षेत्रों, व्यावसायिक मॉडलों और विकास संभावनाओं वाले निवेश विकल्प उपलब्ध होते हैं। इससे बाजार में पूँजी का वितरण अधिक व्यापक हो सकता है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एनएसई इमर्ज तथा बीएसई एसएमई जैसे मंच विशेष महत्त्व रखते हैं। इनके माध्यम से पात्र छोटे उद्यम सार्वजनिक निवेशकों तक पहुँच बना सकते हैं। ऐसे उद्यमों को विस्तार के लिए संसाधन मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिल सकता है।

स्टार्टअप संस्कृति के विकास में भी आईपीओ की भूमिका उल्लेखनीय है। नई तकनीक, डिजिटल सेवाओं, खाद्य वितरण और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियाँ सार्वजनिक बाजार के माध्यम से अपनी विकास योजनाओं के लिए पूँजी जुटा सकती हैं। वर्ष 2021 में जोमैटो का आईपीओ इस संदर्भ में चर्चित उदाहरण रहा। सार्वजनिक बाजार में प्रवेश किसी कंपनी की पहचान बढ़ाने, उसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और भविष्य के विस्तार की संभावनाएँ खोलने में सहायक हो सकता है। हालांकि, किसी स्टार्टअप का आईपीओ लाना उसकी व्यावसायिक सफलता की गारंटी नहीं है। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी लाभप्रदता, ग्राहक संतुष्टि, नवाचार और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के मानकों पर कितना खरा उतरती है।

आईपीओ के बाद शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना निवेशकों को तरलता भी प्रदान करता है। निवेशक बाजार की परिस्थितियों और अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार शेयर खरीद या बेच सकते हैं। साथ ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के नियमों के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियों को वित्तीय परिणामों, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और अन्य आवश्यक जानकारियों का खुलासा करना पड़ता है। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूती मिल सकती है। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती है, जबकि विश्वसनीय पूँजी बाजार देश में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक बन सकता है।

सबसे प्रमुख समस्या कंपनियों के मूल्यांकन की है। यदि किसी कंपनी के शेयरों का निर्गम मूल्य उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति, आय की संभावनाओं और व्यावसायिक जोखिमों की तुलना में बहुत अधिक निर्धारित किया जाता है तो सूचीबद्ध होने के बाद शेयर का मूल्य गिर सकता है। पेटीएम के वर्ष 2021 के आईपीओ के बाद शेयर मूल्य में आई उल्लेखनीय गिरावट ने इस जोखिम को व्यापक चर्चा का विषय बनाया था। ऐसे मामलों में ऊँचे मूल्य पर निवेश करने वाले छोटे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए किसी कंपनी की लोकप्रियता, विज्ञापन या बाजार में उसके प्रति उत्साह को निवेश का पर्याप्त आधार नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी चुनौती अल्पकालिक सट्टात्मक प्रवृत्ति है। अनेक निवेशक कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करने के बजाय केवल सूचीबद्ध होने के दिन मिलने वाले संभावित लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

न्यायपालिका की गरिमा व अनुशासन की लक्ष्मण रेखा

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी

न्यायाधीश को न्यायालय की गरिमा बनाए रखने, अनुशासन कायम करने और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाले व्यवहार पर विधिसम्मत कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून भी न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए मौजूद है लेकिन अधिकारों का प्रयोग करते समय संयम, निष्पक्षता और परिस्थितियों के अनुरूप प्रतिक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय में कोई अनुचित व्यवहार होता है तो उसकी प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव को समझकर कानून के अनुरूप कदम उठाना चाहिए। यदि किसी अधिवक्ता ने अनुचित भाषा का प्रयोग किया है तो उसे उचित प्रक्रिया के तहत समझाया जा सकता है या आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।



न्यायपालिका पर न्याय, निष्पक्षता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति आम नागरिक का विश्वास टिका होता है। न्यायालय के भीतर अनुशासन, पद की मयार्दा और परस्पर सम्मान का विशेष महत्व है लेकिन जब न्यायालय की कार्यवाही के दौरान किसी घटना को लेकर न्यायाधीश और अधिवक्ता के आचरण पर सवाल उठने लगता है तो यह केवल संबंधित व्यक्तियों तक सीमित विषय नहीं रह जाता बल्कि न्यायिक व्यवस्था की कार्य संस्कृति और संस्थागत गरिमा पर व्यापक बहस का कारण बन जाता है।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय कक्ष संख्या-49 में न्यायमूर्ति अजय भनोट से संबंधित एक घटनाक्रम को लेकर अधिवक्ताओं के बीच असंतोष की चर्चा सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, न्यायालय में एक जनपद के पुलिस अधीक्षक के प्रथम पंक्ति में बैठने और एक अधिवक्ता द्वारा उनसे पीछे बैठने का अनुरोध किए जाने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ। बताया जाता है कि संबंधित अधिवक्ता के व्यवहार की शिकायत न्यायमूर्ति के समक्ष की गई। इसके बाद न्यायमूर्ति की प्रतिक्रिया, अधिवक्ता को जेल भेजने की कथित चेतावनी, पुलिस अधीक्षक से माफी मांगने के निर्देश और वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. श्रीवास्तव के प्रति कथित टिप्पणी को लेकर अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई। इस घटनाक्रम के विरोध में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शिकायत करने तथा न्यायालय की कार्यवाही के बहिष्कार का निर्णय लेने की बात भी सामने आई। हालांकि, इन घटनाओं के सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना आवश्यक है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्य, परिस्थितियां और लागू न्यायिक नियमों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। फिर भी यह घटना कुछ बुनियादी सवाल खड़ा करता है, जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

पहला सवाल यह है कि न्यायालय के भीतर पुलिस अधीक्षक अथवा किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी के बैठने की व्यवस्था किस नियम और परंपरा के अनुसार निर्धारित होती है? क्या अधिकारियों के लिए अलग से कुर्सी या निर्धारित स्थान की व्यवस्था है? क्या प्रथम पंक्ति में बैठने का कोई विशेष प्रोटोकॉल है? यदि ऐसी व्यवस्था है तो उसका स्पष्ट पालन होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। न्यायालय में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका और गरिमा होती है। न्यायाधीश न्यायिक कार्यवाही का संचालन करते हैं, अधिवक्ता पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी कानून के क्रियान्वयन एवं न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। किसी अधिकारी का प्रशासनिक पद उसे न्यायालय में अधिवक्ताओं से ऊपर कोई विशेष न्यायिक अधिकार नहीं देता। उसी प्रकार अधिवक्ता होने का अर्थ भी यह नहीं है कि वह न्यायालय के निर्धारित अनुशासन की उपेक्षा कर सकता है।

इसलिए बैठने की व्यवस्था को प्रतिष्ठा अथवा पद की प्रतिस्पर्धा बनाने के बजाय स्पष्ट नियमों और समान रूप से लागू होने वाली परंपराओं के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश को न्यायालय की गरिमा बनाए रखने, अनुशासन कायम करने और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाले व्यवहार पर विधिसम्मत कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून भी न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए मौजूद है लेकिन अधिकारों का प्रयोग करते समय संयम, निष्पक्षता और परिस्थितियों के अनुरूप प्रतिक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय में कोई अनुचित व्यवहार होता है तो उसकी प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव को समझकर कानून के अनुरूप कदम उठाना चाहिए। यदि किसी अधिवक्ता ने अनुचित भाषा का प्रयोग किया है तो उसे उचित प्रक्रिया के तहत समझाया जा सकता है या आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यदि किसी अधिवक्ता को तत्काल जेल भेजने की चेतावनी दिये जाने अथवा माफी मांगने के लिए बाध्य किये जाने संबंधी आरोप सही पाये जाते हैं तो उन पर संस्थागत स्तर पर निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक होगी। न्यायाधीश का पद जितना अधिकारपूर्ण है, उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी।

न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश और अधिवक्ता एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। न्यायाधीश को अधिवक्ता के तर्कों और कानूनी दलीलों को सुनना होता है, जबकि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए अपने मुवक्किल का पक्ष प्रस्तुत करे। दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद को व्यक्तिगत टकराव में बदलना न्यायिक हित में नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अनुभव और योगदान न्यायालय की कार्यसंस्कृति को समृद्ध करता है। दूसरी ओर, न्यायाधीश की गरिमा और न्यायिक अधिकारों का सम्मान भी न्यायिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। किसी एक पक्ष की गरिमा की रक्षा दूसरे पक्ष के सम्मान को ठेस पहुंचाकर नहीं की जा सकती। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय की कार्यवाही के बहिष्कार का निर्णय लेना भी गंभीर विषय है, यदि अधिवक्ताओं को लगता है कि उनके सम्मान और अधिकारों की अनदेखी हुई है तो शिकायत दर्ज कराना, बार एसोसिएशन के माध्यम से अपना पक्ष रखना और मुख्य न्यायाधीश से निष्पक्ष हस्तक्षेप का अनुरोध करना संस्थागत समाधान की दिशा में कदम हो सकते हैं। न्यायालय की कार्यवाही के बहिष्कार से मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पक्षकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विरोध का कोई भी तरीका अपनाते समय आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

इस पूरे प्रकरण का केंद्रीय प्रश्न यही है कि क्या न्यायालय में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा की उपेक्षा की जा सकती है? इसका उत्तर स्पष्ट है- नहीं। अनुशासन आवश्यक है लेकिन उसके साथ निष्पक्षता और मानवीय मयार्दा भी उतनी ही आवश्यक है। न्यायाधीश, अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी तीनों को अपनी-अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए।

अंततः न्यायालय की गरिमा किसी एक व्यक्ति के अधिकार से नहीं बल्कि वहां उपस्थित सभी के संयम, सम्मान और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन से बनती है। जब न्यायाधीश का विवेक, अधिवक्ता की मयार्दा और प्रशासनिक अधिकारी का अनुशासन एक साथ कायम रहते हैं, तभी न्याय की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। यही वह संतुलन है, जिसके टूटने पर केवल न्याय कक्ष का वातावरण नहीं बल्कि आम नागरिक का न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी प्रभावित हो सकता है।

32 टन अवैध उर्वरक और नामी कंपनियों के 358 खाली बोरे जब्त

संदिग्ध खाद के गोदाम पर छापा संचालक पर एफआईआर दर्ज

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



डबरा के शुगर मिल क्षेत्र में जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध और संदिग्ध खाद के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान गोदाम से लगभग 32 टन विभिन्न प्रकार का उर्वरक और नामी कंपनियों के 358 छपे हुए खाली बैग बरामद किए गए हैं। मौके पर खाद के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जाने पर पुलिस ने गोदाम संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। 32 टन खाद जब्त, गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे नमूने उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि 26 अक्टूबर की शाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा को गुप्त सूचना मिली थी कि शुगर मिल क्षेत्र स्थित एक गोदाम में बड़े पैमाने पर संदिग्ध खाद का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही अनुविभागीय कृषि अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम खुलवाया और सघन जांच शुरू की। जांच के दौरान मौके से 32 टन उर्वरक के साथ-साथ प्रसिद्ध कंपनियों के खाली बोरे मिले, जिससे बड़े पैमाने पर नकली खाद की री-पैकिंग किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने खाद की गुणवत्ता परखने के लिए मौके से विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के नमूने (सैंपल) सील कर प्रयोगशाला भेज दिए हैं। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मेसर्स जय कामतानाथ किसान सेवा केंद्र के प्रोपराइटर निशांत अग्रवाल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डबरा की लिखित शिकायत पर पुलिस थाना डबरा सिटी में आरोपी के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 4, 5, 7 एवं 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 एवं 7 के तहत अपराध क्रमांक 0651/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खाद का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला से नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी उर्वरक विक्रेता को बख्शा नहीं जाएगा और जिले में लगातार औचक निरीक्षण अभियान जारी रहेगा।

वामपंथी पार्टियों की बैठक में 1 नवंबर दिल्ली रैली की तैयारी की समीक्षा की

ग्वालियर से 31 को दिल्ली रैली के लिए जत्थे रवाने होंगे

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



वामपंथी पार्टियों की बैठक माकपा कार्यालय में पूर्व पार्षद भगवान दास सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एडवोकेट कौशल शर्मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रामविलास गोस्वामी और भाकपा माले के मयंक रावत उपस्थित रहे बैठक में 01 नवंबर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली की तैयारी की समीक्षा की और गली मोहल्ले में चल रहे अभियान को तेज करने की योजना तैयार की गई। बैठक में मजदूर और किसानों के बीच में पर्चे वितरित कर जत्थे तैयार किए जाएं इसकी भी चर्चा की गई। 01 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में देश भर के लाखों नागरिक पहुंचेंगे वोट चोरी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के स्तीफे और एस आई यार रद्द करने की मांग को लेकर ग्वालियर से 31 अक्टूबर से ही जत्थे रवाने होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संजीव राजपूत, अशोक पाठक, शैलेश परमार, प्रकाश वर्मा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अखिलेश यादव, रामबाबू जाटव, जितेंद्र आर्य, प्रीति सिंह, श्याम यादव, बीपी गणक ,बीरबल चैन और भाकपा माले के विनोद रावत, सुल्ताना बानो, मलखान सिंह, अशोक खान, आदि ने आम नागरिकों से वामपंथी जत्थों के साथ दिल्ली चलने की अपील की है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया है।बैठक के दौरान नेताओं ने रैली को सफल बनाने के लिए अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की। इस मेगा रैली का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को मजबूती देना है। वामपंथी दलों के नेताओं ने जोर देकर कहा कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों, लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा और जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। बैठक में यह भी तय किया गया कि रैली को लेकर जमीनी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले नागरिकों और कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गौरतलब है कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों द्वारा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7 साल बाद करवा चौथ पर फिर एक हुए पति-पत्नी, काउंसलिंग से सुलझा विवाद

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली सुनीता (परिवर्तित नाम) के लिए इस बार का पर्व खास बन गया। सात साल तक पति से अलग रहने के बावजूद वह हर साल उसकी तस्वीर देखकर व्रत खोलती थीं। आखिरकार कुटुंब न्यायालय की पहल और काउंसलिंग से पति-पत्नी के बीच दूरियां खत्म हुई। इस बार सुनीता को तस्वीर के बजाय पति का साथ मिला और वह अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन की उम्मीद लेकर गुरुवार को आगरा रवाना हो गईं। गुना निवासी सुनीता का विवाह वर्ष 2017 में में आगरा निवासी मदन कुशवाह (परिवर्तित नाम) से हुआ था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में पारिवारिक विवाद और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के आरोपों के चलते रिश्ते में तनाव बढ़ गया। सुनीता के मुताबिक, पति भी अपने स्वजन का पक्ष लेने लगा। इसके बाद वर्ष 2021 में वह अपनी एक वर्षीय गोद ली हुई बेटी को लेकर मायके लौट आई, जबकि उनका तीन वर्षीय बेटा पति के पास ही रह गया। पति से अलग रहने के बावजूद सुनीता ने रिश्ता बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। हर करवा चौथ पर वह निर्जला व्रत रखतीं और रात में पति की तस्वीर देखकर उपवास खोलती थीं। मायके पक्ष ने भी समाज के लोगों की मदद से कई बार सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार सुनीता ने परिवार को टूटने से बचाने के लिए कुटुंब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कुटुंब न्यायालय की काउंसलर बबीता दीवान और मीडिएटर हरीश दीवान ने न्यायालय के आदेश पर मामले में काउंसलिंग शुरू की।

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई महाराजपुरा, गिरवाई रोड और जलालपुर क्षेत्र में दबिश

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेशानुसार जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बुधवार 28 अक्टूबर को विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। विभाग की टीम ने महाराजपुरा, गिरवाई रोड और जलालपुर क्षेत्र में दबिश देकर कुल 190 लीटर अवैध मदिरा जब्त की। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए। आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान महाराजपुरा क्षेत्र में एमिटी यूनिवर्सिटी के आगे वैष्णवी धाम के पास से विवेक सिंह तोमर के आधिपत्य से 307 पाव देशी मदिरा (प्लेन एवं मसाला) और छह बोतल रम जब्त की गई। मौके से आरोपी फरार हो गया। इस मामले में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी क्रम में आबकारी बल और संबंधित पुलिस थाने की संयुक्त टीम ने गिरवाई रोड स्थित ढाबों की जांच की। इस दौरान होटल फॉरेस्ट ग्लैड से नौ बीयर कैन और तीन बोतल खुली अंग्रेजी मदिरा जब्त की गई। इस मामले में धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जलालपुर क्षेत्र में पप्पू चौहान के मकान से 52 पाव देशी मदिरा प्लेन, आठ बीयर कैन और 12 पाव देशी मसाला मदिरा जब्त की गई। वहीं, राम बरन कुशवाह के पास से 20 पाव देशी मदिरा प्लेन और 26 बीयर कैन जब्त किए गए। इन दोनों मामलों में भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

आबकारी विभाग के अनुसार, पूरी कार्रवाई में धारा 34(1) के तहत तीन और धारा 34(2) के तहत एक, कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त अवैध मदिरा की कुल मात्रा 190 लीटर और अनुमानित कीमत लगभग 55 हजार रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में की गई।

करवा चौथ पर खूनी वारदात: मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में डिफेंस स्कूल के पास करवा चौथ के दिन पति ने पत्नी की हत्या कर दी। महिला ने करवा चौथ का व्रत रखा था। गुरुवार सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पति आनंद ने पत्नी मधु श्रीवास्तव के सिर पर मुसली से कई वार किए। इससे मधु की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार , आनंद और मधु ने 2010 में प्रेम विवाह किया था। दोनों के एक बेटा और एक बेटी हैं। बच्चे अभी बात करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए पति-पत्नी के बीच विवाद की वजह पता नहीं चल सकी है। आशंका है कि आरोपी ने पहले गला दबाकर पत्नी की हत्या की और फिर मूसली से उसके सिर पर कई वार किए। कहा ये भी जा रहा है कि आनंद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आशंका है कि आरोपी पति ने पहले पत्नी का गला घोंटा, फिर मसाला कूटने वाली मूसली से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे सिर बुरी तरह कुचल गया था। आकाश ने बताया कि आरोपी पहले एक कुत्ते को भी मार चुका है। वहीं, पड़ोसियों के मुताबिक, आरोपी बेरोजगार था और उसे मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता था। वह आए दिन घर में चिल्लाता रहता था। घटना के समय दूसरे कमरे में मधु की भाभी और उसके दोनों बच्चे, बेटा-बेटी, मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस की कार्यवाही, तीन अलग-अलग गुमशुदगी प्रकरणों में तीन महिलाओं को किया दस्तयाब

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर जयराज कुबेर(रापुसे) के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में गुमशुदाओं की दस्तयाबी हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्देषों के परिपालन में डीएसपी ग्रामीण श्री बिंदुसार सिंह द्वारा अपने अधीनस्थ सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र से गुमशुदाओं की दस्तयाबी हेतु टीम बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। थाना बिलौआ क्षेत्र से तीन गुमषुदा महिलाओं के गायब होने पर थाना प्रभारी बिलौआ निरीक्षक इला टण्डन द्वारा गुमषुदा महिलाओं की दस्तयाबी हेतु चौकी प्रभारी जौरासी उप निरी. राजवीर सिंह यादव के नेतृत्व में थाना बल की टीम को लगाया गया। थाना बिलौआ पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुम इंसान क्रमांक 01/20 की गुमषुदा महिला रामवती(परिवर्तित नाम), गुम इंसान क्रमांक 09/21 की गुमषुदा महिला सीता(परिवर्तित नाम), एवं गुम इंसान क्रमांक 10/23 की गुमषुदा महिला गीता(परिवर्तित नाम) की आसपास के क्षेत्र में तलाष की जाकर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। दौराने विवेचना थाना बिलौआ पुलिस द्वारा गुम इंसान क्रमांक 01/20 की गुमषुदा महिला रामवती(परिवर्तित नाम) को ग्राम चिरपुरा से दस्तयाब किया गया एवं गुम इंसान क्रमांक 09/21 की गुमषुदा महिला सीता(परिवर्तित नाम) को बिलौआ तथा गुम इंसान क्रमांक 10/23 की गुमषुदा महिला गीता(परिवर्तित नाम) को मकोड़ा से दस्तयाब किया गया। इस प्रकार थाना बिलौआ पुलिस ने वर्षों से लापता तीनों गुमशुदा महिलाओं को तलाश कर दस्तयाबी में सफलता प्राप्त की।

55 वर्षीय बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी

ई रिक्शा की टक्कर से महिला की मौत बुजुर्ग को कार ने कुचला

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



मुरार थाना क्षेत्र के आर्मी गेट के पास बारादरी पर करवाचौथ की खरीदारी कर लौट रही महिला को तेज रफ्तार ई रिक्शा के चालक ने लापरवाही चलाते हुए टक्कर मार दी। । घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मृतका का शव पीएम हाउस पहुंचा दिया है। वहीं महाराजपुरा थाना क्षेत्र में साइकिल से घूमने निकले 55 वर्षीय बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मुरार थाना क्षेत्र के गेरू वाला बंगला के पास रहने वाली 51 वर्षीय कुंअर देवी कुशवाह पत्नी बृज किशोर कुशवाह अपने पति के साथ करवाचौथ की खरीदारी करने के लिए बाजार आई थी। बाजार से खरीदारी करने के बाद वह तथा उसका पति वापस घर लौट रहे थे। अभी वह आर्मी गेट बारादरी पर पहुंचे ही थे कि तभी तेज रफ्तार आ रहे बिना नंबर की ई रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कुंअर देवी हवा में उछली और सड़क पर गिरी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं महाराजपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर निवासी राजबहादुर सिंह साइकिल से घूमने निकले थे। अभी वह कोठारी हाउस के पास पहुंचे, तभी पीछे से आई एक अज्ञात कार ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए राजबहादुर सिंह की साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। घायल बुजुर्ग को उनका बेटा सुरेन्द्र उपचार के लिए लेकर पहुंचा।

मिशन वात्सल्य के तहत नर्मदापुरम में प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

अस्पताल या बिचौलियों के माध्यम से बच्चा गोद लेना पूरी तरह अवैध और दंडनीय: आशु पटेल

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



आशीष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में बुधवार को विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के सभाकक्ष में समेकित बाल संरक्षण योजना 'मिशन वात्सल्य' के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दत्तक ग्रहण, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, प्रत्यावर्तन, पुनर्वास और बालकों के सामाजिक एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चिंतन और विस्तृत चर्चा की गई। प्रक्रिया की कानूनी और व्यावहारिक बारीकियों पर चर्चा कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी आशु पटेल ने मिशन वात्सल्य के विभिन्न घटकों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के लिए कारा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है। बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच पूरी करने के बाद बच्चे को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाता है। अब नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट (ष्ठरू) द्वारा दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जारी किया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी अस्पताल, सोशल मीडिया या बिचौलियों के माध्यम से सीधे बच्चा गोद लेना कानूनन पूरी तरह अवैध और दंडनीय अपराध है। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों की रही गरिमामयी उपस्थिति कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक और सुरक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की: स्वास्थ्य विभाग: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरसिंह गहलोत न्यायिक एवं विधिक सेवा: जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शैलेंद्र कौरव, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य महिला एवं बाल विकास: जिला कार्यक्रम अधिकारी आशीष सिंह एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी सुरक्षा बल: पुलिस विभाग एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधि बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत बनाने का लिया संकल्प कार्यशाला के दौरान स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और देखरेख से जुड़े बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रियाओं को भी बेहद सरल भाषा में समझाया गया। इस प्रशिक्षण में बाल देखरेख संस्थाओं के कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने जिले में बाल संरक्षण तंत्र को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और मजबूत बनाने का साझा संकल्प दोहराया।

एटीपी फाइनल्स में जगह बनाने की उम्मीद मजबूत

जोकोविच ने जीत के साथ की शुरुआत

एजेन्सी, बेसल

सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेसल ओपन में खेले गए अपने पहले मुकाबले में फ्रांस के उगो हम्बर्ट को तीन सेटों में हराकर एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। 39 वर्षीय जोकोविच ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 4-6, 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। वह 2011 के बाद पहली बार बेसल में खेल रहे हैं।

जोकोविच ने मुकाबले के बाद कहा, यह बेहद करीबी और शुरूआत से ही काफी चुनौतीपूर्ण मुकाबला था। पहले अंक से ही मुझे दबाव का सामना करना पड़ा। मुझे उनके आक्रामक खेल का सामना करना था, लेकिन दूसरे सेट की शुरूआत में मैं अपनी लय हासिल करने में सफल रहा।

उन्होंने कहा, इसके बाद मुझे उनके खेल की गति के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी सहजता महसूस हुई। कुल मिलाकर यह बड़ी चुनौती थी। आज के कठिन मुकाबले में मैं समाधान तलाशने में सफल रहा।

रिकॉर्ड 19वीं बार क्वालीफाई करने पर नजर

जोकोविच ने इस महीने की शुरूआत में बीजिंग में चाइना ओपन का खिताब जीतकर एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 19वीं बार जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया था। यह उनके करियर का 102वां खिताब था।

हालांकि, इसके बाद उन्हें शंघाई मास्टर्स में शुरूआती दौर में ही बाहर होना पड़ा। 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच ने ट्यूरिन में होने वाले सत्र के अंतिम टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में 11वें स्थान पर खिसकने के बाद स्विट्जरलैंड की इस प्रतियोगिता में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश किया।

जोकोविच सात बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत चुके हैं, लेकिन चोट के कारण पिछले दो संस्करणों में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इस टूर्नामेंट में 15 से 22 नवंबर तक दुनिया के शीर्ष आठ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हालांकि, इटली के यानिक सिनर घुटने की समस्या के कारण पहले ही टूर्नामेंट से हट चुके हैं। बेसल में चौथी वरीयता प्राप्त जोकोविच अगले दौर में जर्मनी के यान-लेनार्ड स्ट्रफ से भिड़ेंगे। स्ट्रफ के खिलाफ जोकोविच का जीत-हार का रिकॉर्ड 8-0 है।



भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला से बाहर हुए लॉकी फर्ग्यूसन, मैट फिशर को मिला मौका

एजेन्सी, ऑकलैंड

भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के बीच न्यूजीलैंड को एक और झटका लगा है। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चोट के कारण भारत के खिलाफ जारी टी20 श्रृंखला के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मैट फिशर को टीम में शामिल किया गया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि फर्ग्यूसन को हेगले ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के दौरान दाएं पिंडली में दर्द महसूस हुआ था। इसके बाद कराई गई जांच में उनकी मांसपेशियों में हल्का खिंचाव पाया गया। उन्हें मैदान पर वापसी करने से पहले लगभग एक सप्ताह और आराम करना पड़ सकता है।

इस बीच, तेज गेंदबाज मैट हेनरी की भी दूसरे टी20 मुकाबले के दौरान दाहिनी जांघ की मांसपेशी में दर्द के बाद जांच की गई। उनकी मांसपेशियों में भी हल्का खिंचाव पाया गया है। उन्हें ठीक होने में एक से दो सप्ताह का समय लग सकता है। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा, ह्लॉकी और मैट के चोटिल होने से हम निराश हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चोटें खेल का हिस्सा हैं, लेकिन जब खिलाड़ियों को मुकाबलों से बाहर होना पड़ता है, तो यह निराशाजनक होता है। उन्होंने कहा, मैट को पहले से ही कार्यभार प्रबंधन के तहत बाकी टी20 मुकाबलों से बाहर रहना था, ताकि वह गर्मियों के व्यस्त कार्यक्रम के लिए तैयार रह सकें। हमें उम्मीद है कि वह एकदिवसीय श्रृंखला में अहम भूमिका निभाएंगे। लॉकी कल ईडन पार्क में खचाखच भरे घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के लिए बेहद उत्साहित थे, लेकिन वह एकदिवसीय श्रृंखला के लिए वापसी करने को लेकर दृढ़ हैं। हेनरी को कार्यभार प्रबंधन की योजना के तहत आगामी एकदिवसीय श्रृंखला में टीम में लौटना था। न्यूजीलैंड को उम्मीद है कि वह तय कार्यक्रम के अनुसार वापसी कर सकेंगे। वहीं, काइल जैमीसन भी निर्धारित कार्यभार प्रबंधन के तहत वेलिंगटन में ही रहेंगे। वह शनिवार को फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे दौर में कैंटरबरी की ओर से खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद सोमवार को एकदिवसीय श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टीम से जुड़ेंगे।



भारत तीन मैचों में जीत दर्ज कर श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा।

हाइलो ओपन के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु

एजेन्सी, सारब्रुकेन

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने हाइलो ओपन 2026 में शानदार शुरूआत करते हुए यूएई की प्रकृति भरत को सीधे गेम में हराकर महिला एकल के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं, भारत की अश्मिता चालिहा को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा।

दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में भरत को महज 28 मिनट में 21-10, 21-10 से शिकस्त दी। अब उनका सामना फ्रांस की रोसी ओक्टाविया पंकसारी से होगा।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद इस प्रतियोगिता में उतरी हैं। उन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल तक का सफर तय किया था, जहां उन्हें विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन से यंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

अश्मिता पहले दौर में हारीं

दूसरी ओर, महिला एकल में भारत की अश्मिता चालिहा का सफर पहले दौर में ही समाप्त हो गया। उन्हें बुल्गारिया की कालोयाना नलबांतोवा ने 54 मिनट तक चले मुकाबले में 18-21, 21-12, 21-8 से हराया।

अश्मिता ने भी पेरिस में फ्रेंच ओपन में अच्छा प्रदर्शन किया था और क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराकर प्रभावित किया था, लेकिन हाइलो ओपन में वह अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं सकीं।



काजल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में बनाया रिकॉर्ड

मेंडल जीतने वाली पहली भारतीय हैवीवेट रेसलर बनीं

एजेन्सी, नई दिल्ली

भारतीय रेसलर काजल ढोचक ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हैवी वेट कैटेगरी का मेडल जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर बन गई हैं। बुधवार को 76 केजी के फाइनल में 18 साल की काजल को यूक्रेन की अनास्तासिया अल्पीयेवा ने 8-6 से हराया। काजल के अलावा, नीलम सिरोही को भी सिल्वर मिला।

कजाकिस्तान के अस्ताना में 26 साल की नीलम 50 केजी के फाइनल में जापान की युई सुसाकी से पिन-फॉल के आधार पर हार गईं। भारत ने सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार एक ही एडिशन में भारत की 2 महिला पहलवानों ने फाइनल तक का सफर तय किया। इससे पहले 2021 में ओस्लो में हुई चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था।

76 केजी के फाइनल में काजल का सामना यूक्रेन की अनास्तासिया अल्पीयेवा से हुआ। पहले पीरियड के बाद काजल 1-3 से पीछे थीं। उन्होंने दूसरे पीरियड में वापसी की और स्कोर 4-4 कर दिया। मैच खत्म होने से करीब 20 सेकंड पहले अल्पीयेवा ने दांव लगाकर 4 अंक हासिल किए और 8-4 की बढ़त बना ली। काजल ने आखिरी पलों में 2 अंक जुटाए, लेकिन मुकाबला 6-8 से हार गईं।



पहली सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचीं

काजल पहली बार सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल रही थीं। फाइनल से पहले सेमीफाइनल में उन्होंने किर्गिस्तान की ऐपेरी मेदेत क्यजी के खिलाफ 1-7 से पिछड़ने के बाद वापसी की और 10-7 से जीत दर्ज की। काजल अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं।

युई सुसाकी ने नीलम को पिन-फॉल से हराया

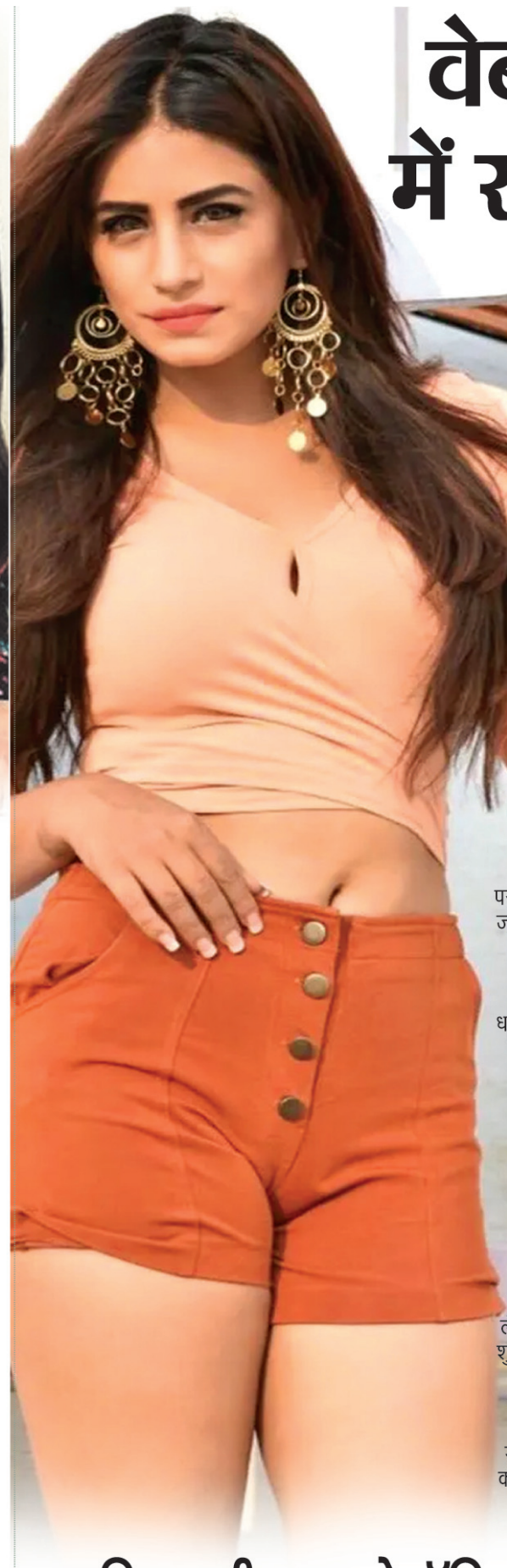
50 केजी के फाइनल में नीलम सिरोही का सामना जापान की युई सुसाकी से हुआ। सुसाकी ने 5-0 की बढ़त बनाने के बाद पहले पीरियड में ही नीलम को पिन-फॉल कर दिया। इस हार के साथ नीलम को सिल्वर मेडल मिला। नीलम ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की जेनेप बयानोवा को 7-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं, सुसाकी ने इस जीत के साथ अपना पांचवां वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। वह 48 ङ्कऔर 50 ङ्कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं।



रसिका दुग्गल ने की बच्चों के लिए फिल्में बनाने की अपील

अभिनेत्री रसिका दुग्गल का कहना है कि 'लिटिल थॉमस' जैसी फिल्में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां उन्हें अपने अनुभवों और भावनाओं से जोड़ने का अवसर देती हैं। फिल्म में वह जेसी मिरांडा के किरदार में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री का कहना है कि इस तरह की कहानी बच्चों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें सवाल पूछने, कल्पना करने और अपने आसपास की दुनिया को समझने पर आजादी देंगी। उन्होंने कहा, 'सिनेमा आपकी दुनिया को बड़ा करने और कल्पना को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। बड़े होने पर हमारे मन में जो कई विचार आते हैं, उनका कनेक्शन अक्सर बचपन में देखी गई फिल्मों से होता है।' बच्चों के लिए अच्छी फिल्मों की जरूरत पर बात करते हुए रसिका ने कहा, 'इसलिए हमें ऐसी फिल्मों की जरूरत है, जिनसे बच्चे खुद को जोड़ सकें। ऐसी फिल्में उनकी जिज्ञासा को नजरअंदाज करने के बजाय उसे अपनाएं।' रसिका ने कहा कि बच्चों के लिए फिल्में बिना हल्की-फुल्की हुए भी मनोरंजक हो सकती हैं। एक्ट्रेस ने कहा, 'इस तरह की फिल्में भी बच्चों का मनोरंजन कर सकती हैं। मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा फिल्ममेकर ऐसी कहानियों को एक्सप्लोर करें जिन्हें बच्चे एन्जॉय कर सकें और जो उनकी कल्पना के लिए नई संभावनाएं खोलें।' कौशल ओझा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1990 के दशक के गोवा में सात साल के थॉमस और उसके परिवार के जीवन के उतार-चढ़ाव को दिखाती है, जो मालगुडी डेज और रस्किन बॉन्ड की कहानियों की याद दिलाती है। फिल्म में गुलशन देवैया, रसिका दुग्गल और बाल कलाकार हृदांश पारेख मुख्य भूमिकाओं में हैं।

अभिनेत्री रसिका दुग्गल फिल्म में थॉमस की मां 'जेसी मिरांडा' का किरदार निभा रही है। जेसी मिरांडा एक ऐसी मां हैं जिनकी दुनिया उनके परिवार, उनकी बेकरी और संगीत के प्रति उनके प्रेम के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दुनिया को एक बच्चे की नजर से देखने का प्रयास किया गया है, जहां बचपन की जिज्ञासाओं से जन्म लेने वाले सहज और अनपेक्षित बातचीत को प्रमुखता दी गई है।



वेब सीरीज 'स्नो ब्राइड' में रहस्य सुलझाती नजर आएंगी भूमिका गुरुंग

टीवी शो 'निमकी मुखिया' और 'निमकी विधायक' में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस भूमिका गुरुंग अब वेब सीरीज 'स्नो ब्राइड' के जरिए रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया में नजर आएंगी। यह सीरीज हिमालय के एक दूरदराज गांव की कहानी है, जहां डर, अंधविश्वास और एक खौफनाक रहस्य लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सीरीज में भूमिका पूर्वा नाम की महिला का किरदार निभा रही हैं, जो गांव के लोगों की मान्यताओं पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सच जानने की कोशिश करती है। भूमिका का कहना है कि इस सीरीज की खास बात यह है कि दर्शक भी उनकी तरह धीरे-धीरे रहस्य की परतों को समझेंगे और गांव के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएंगे। छह एपिसोड वाली इस सस्पेंस क्राइम ड्रामा सीरीज में भूमिका के साथ शिवम भार्गव, मानुल चुडासमा और इंद्रजीत मोदी भी अहम भूमिकाओं में हैं। कहानी ऐसे गांव में बुनी गई है, जहां यति को लेकर कई पीढ़ियों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं। गांव की युवा महिलाओं के अचानक गायब होने की घटनाओं को यति से जोड़कर देखा जाता है। गायब होने वाली महिलाओं को 'यति की दुल्हनें' कहा जाता है और गांव के लोग डर, आस्था और पुरानी मान्यताओं के चलते इन घटनाओं को स्वीकार करते आए हैं। लेकिन जब पूर्वा इन कहानियों पर सवाल उठाना शुरू करती है, तो उसका सामना ऐसे रहस्यों से होता है, जो हर नए सवाल के साथ और भी डरावने होते जाते हैं। भूमिका ने अपने किरदार के बारे में कहा, ''पूर्वा की सबसे खास बात मुझे यह लगी कि वह सिर्फ इसलिए किसी बात को सच नहीं मान लेती, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं। वह समझना चाहती है कि आखिर क्या हो रहा है,



भले ही सवाल पूछने की वजह से उसे अपने आसपास के लोगों से अलग क्यों न होना पड़े।'' उन्होंने आगे कहा, ''पूर्वा के इस दृढ़ इरादे के साथ उसके मन में मौजूद डर और अनिश्चितता को पर्दे पर उतारना मेरे लिए काफी दिलचस्प रहा। मुझे 'स्नो ब्राइड' की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि दर्शक भी पूर्वा के साथ ही इस रहस्य को सुलझाते दिखेंगे। मैं चाहती हूं कि दर्शक उसके सफर को देखें और गांव के बारे में जो कुछ वे जानते या मानते हैं, उस पर सवाल उठाएं।'' एक्टर शिवम भार्गव ने सीरीज की कहानी और इसके माहौल को दिलचस्प बताया। उन्होंने कहा, ''स्नो ब्राइड' का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। इसकी लोकेशन और यति से जुड़ी वह कहानी, जिसे हममें से कई लोगों ने बचपन से सुना है, असलियत सामने आने से पहले ही मन में एक अजीब-सा डर पैदा कर देती है। इसकी कहानी दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि लोग किन बातों पर विश्वास करते हैं, किन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और पर्दे के पीछे क्या छिपा हो सकता है।''



एक्ट्रेस प्रिया ठाकुर को पर्दे पर दुल्हन बनना पसंद, टीवी शो 'वसुधा' के बारे में दी अपडेट

टीवी एक्ट्रेस प्रिया ठाकुर इन दिनों अपने शो 'वसुधा' में देव और वसुधा की शादी के ट्रैक को लेकर एक्साइटेड हैं। जी टीवी के इस शो में दोनों की जिंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार वसुधा को चंद्रिका की मंजूरी भी मिल रही है। शो में देव का किरदार अभिषेक शर्मा निभा रहे हैं, जबकि वसुधा के रोल में प्रिया ठाकुर नजर आ रही हैं। शादी के इस ट्रैक को लेकर प्रिया ने बताया कि पर्दे पर दुल्हन बनना उन्हें हमेशा पसंद रहा है, हालांकि भारी लहंगे, जूलरी और घंटों तक शूटिंग करना आसान नहीं होता। शो में देव और वसुधा की शादी पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार उनकी शादी का मतलब दोनों के लिए काफी अलग है। इसकी सबसे बड़ी वजह चंद्रिका का वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करना है। दर्शक लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे और अब पूरे परिवार को दोनों के रिश्ते का जश्न मनाते देखना उनके लिए खास होगा।



शादी के ट्रैक के बारे में बात करते हुए प्रिया ने कहा, ''दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चंद्रिका वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करें। मुझे लगता है कि यही बात इस शादी को खास बनाती है। भले ही देव और वसुधा की पहले भी शादी हो चुकी है, लेकिन इस बार चंद्रिका की मंजूरी और आशीर्वाद के साथ पूरा परिवार उनके रिश्ते का जश्न मना रहा है। सभी को उनके लिए खुश होते देखना हमारे लिए भी खास पल है और उन फैंस के लिए भी, जो लंबे समय से देव और वसुधा को इस तरह एक होते देखना चाहते थे।'' प्रिया ने कहा, ''शो में शादी से जुड़े कई शानदार फंक्शन दिखाए गए हैं और यह उन सभी फैंस के लिए एक छोटा सा तोहफा है, जिन्होंने देव और वसुधा के सफर में उनका साथ दिया है।

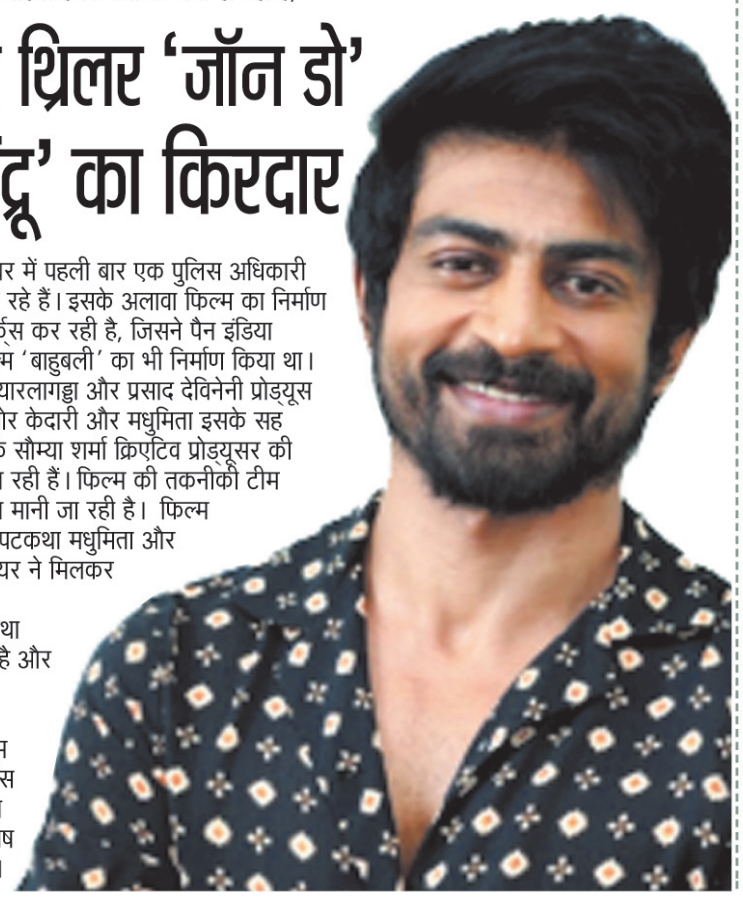
शादी के ट्रैक की शूटिंग हमेशा मजेदार होती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। भारी कपड़े, जूलरी और सेट पर लंबे समय तक काम करना आसान नहीं होता। मुझे स्क्रीन पर दुल्हन बनना हमेशा पसंद रहा है।

मधुमिता की साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'जॉन डो' में अर्जुन दास निभाएंगे 'चंद्रू' का किरदार

तमिल सिनेमा के उभरते सितारे अर्जुन दास निर्देशक मधुमिता की आगामी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'जॉन डो' में 'चंद्रू' नाम का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को इसका खुलासा किया। अर्जुन दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म से जुड़ा अपना फर्स्ट लुक पोस्टर साझा करते हुए लिखा, ''नान पोधुमा? (क्या मैं पर्याप्त हूं?)' यह एक सवाल है जो चंद्रू को लगातार परेशान करता है। शायद यह वह सवाल है जो हम सभी ने कभी न कभी खुद से पूछा है। उसकी तलाश में कहीं न कहीं मुझे खुद का भी एक हिस्सा मिला। 'जॉन डो' की दुनिया के चंद्रू से मिलिए। यह फिल्म नवंबर में आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी।' उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का लेखन और निर्देशन मधुमिता ने किया है। फिल्म का निर्माण अर्का मीडिया वर्क्स ने किया है और इसे एजीएस सिनेमाज प्रस्तुत कर रही है।

फिल्म में संचना नटराजन मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा श्रुष्टि, जारा विनीत चांधोके और निरव भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों और सिनेप्रेमियों में कई कारणों से उत्सुकता बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि अर्जुन दास अपने करियर में पहली बार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म का निर्माण अर्का मीडिया वर्क्स कर रही है, जिसने पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' का भी निर्माण किया था। फिल्म को शोभू यारलागड्डा और प्रसाद देविनेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। किशोर केदारी और मधुमिता इसके सह निर्माता हैं, जबकि सौम्या शर्मा क्रिएटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। फिल्म की तकनीकी टीम भी काफी मजबूत मानी जा रही है। फिल्म की कहानी और पटकथा मधुमिता और निकोलस शेवेलियर ने मिलकर लिखी है।

सिनेमैटोग्राफी प्रीथा जयरामन ने की है और संपादन विजय वेंकटरमणन ने संभाला है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस दिनेश सुब्बारायन और एक्शन संतोष ने तैयार किए हैं।



करण वाही ने उदिति सिंह संग ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी



बिग बॉस 20 में उदिति सिंह लगातार एक्टर करण वाही के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर बात करती रहती हैं। वह शो में अपने ब्रेकअप की वजह भी बता चुकी हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि करण ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था और उनके डॉगी को भी गलत तरीके से ट्रीट किया था। अब करण वाही ने इस पूरे मामले पर खुद चुप्पी तोड़ी है। एक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वह इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते थे। करण ने उन अटकलों पर भी विराम लगाया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ब्रेकअप से पहले दोनों की शादी होने वाली थी।

करण वाही ने बातचीत में उदिति सिंह के साथ अपने रिश्ते और ब्रेकअप की वजह पर बात की। उन्होंने बताया कि जब दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया, तब वह करीब 33 साल के थे और जिंदगी के उस पड़ाव पर थे, जहां किसी रिश्ते में आने से पहले उसके भविष्य के बारे में सोचना जरूरी मानते थे। करण के मुताबिक, वह इस रिश्ते को शादी तक ले जाने के इरादे से आगे बढ़े थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों की शादी की तारीख या कोई पक्की योजना तय हो चुकी थी।

शादी का इरादा था, लेकिन कोई पक्की योजना नहीं थी

करण वाही ने बताया कि उदिति को डेट करते समय उनके मन में शादी का विचार था। उन्होंने कहा, 'जब मैंने उन्हें डेट करना शुरू किया, तब मैं 33-34 साल का था। इसलिए, मैं ऐसी उम्र में था जहां मेरा सोचना था कि अब अगर मैं किसी रिश्ते में आता हूं, तो वह शादी में बदलना चाहिए। वरना, मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए।' करण ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके रिश्ते को लेकर शादी की योजना बनने की खबरें सही नहीं थीं। लॉकडाउन के दौरान दोनों ने साथ समय बिताया था और अपने भविष्य को लेकर बातचीत भी की थी, लेकिन इसे शादी तय होने के रूप में देखना गलत होगा। एक्टर ने कहा कि उनका इरादा रिश्ते को शादी तक ले जाने का था, जिसे लोगों ने शायद इस तरह समझ लिया कि दोनों जल्द शादी करने वाले थे।

करण वाही ने ब्रेकअप की वजह पर की बात

उदिति सिंह से अलग होने के कारण पर बात करते हुए करण ने कहा कि दोनों एक-दूसरे के साथ उतने अनुकूल नहीं थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे के साथ उतने कम्पेटिबल नहीं थे। कम से कम मेरे लिए तो यही सच है।' करण ने उन अटकलों को भी खारिज किया कि उनके माता-पिता के दखल या आपत्ति की वजह से रिश्ता खत्म हुआ था। दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर भी उनके रिश्ते को लेकर चर्चा का विषय रहा था, लेकिन करण ने इसे ब्रेकअप की वजह साफ नहीं की।

उदिति के लिए मन में नहीं है कड़वाहट

करण वाही ने बातचीत में यह भी साफ किया कि उदिति से अलग होने के बाद उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। भले ही उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वह बीते समय को लेकर कोई शिकायत नहीं रखते। करण ने उदिति के प्रति सकारात्मक भाव जाहिर करते हुए कहा कि वह उनके लिए खुश हैं। करण के इस बयान के बाद उनके और उदिति के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं में एक नया पहलू सामने आया है। एक्टर ने स्पष्ट किया कि रिश्ता शादी के इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन दोनों के बीच अनुकूलता की कमी के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया।



न्यूज ब्रीफ

इंडियन रेलवे ने स्पेशल कैंपेन 6 के तहत 31 अक्टूबर को खत्म होने से पहले ही अपने मुख्य टारगेट पूरे किए



भोपाल। इंडियन रेलवे 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाए जा रहे स्पेशल कैंपेन 6 में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। जैसे-जैसे यह कैंपेन 31 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, इंडियन रेलवे ने कई खास टारगेट पूरे कर लिए हैं। इसमें साफ-सफाई, स्क्रैप डिस्पोजल, ई-वेस्ट मैनेजमेंट, पेंडिंग मामलों का डिस्पोजल और प्रोसेस को आसान बनाने जैसे अहम काम शामिल हैं, जो पेंडिंग मामलों के डिस्पोजल के स्पेशल कैंपेन में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

एक बड़ी पब्लिक-सेंट्रिक पहल के तौर पर, 22 अक्टूबर 2026 को देश भर के 5,884 रेलवे स्टेशनों पर रेल जन संवाद ऑर्गनाइज किया गया ताकि पैसेंजर्स से सीधी बातचीत की जा सके और साफ-सफाई, पैसेंजर सुविधाओं और सर्विस डिलीवरी पर उनका फीडबैक और सुझाव लिया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और उएड, श्री सतीश कुमार ने नई दिल्ली में स्टेकहोल्डर्स से बातचीत की, जबकि ऊअफ्ढक्रके सेक्रेटरी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस पहल ने लोकल मुद्दों को पहचानने और पैसेंजर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए सही फॉलो-अप एक्शन लेने का मौका दिया।

स्पेशल कैंपेन 6, जो 31 अक्टूबर 2026 को खत्म होने वाला है, के साथ इंडियन रेलवे अपनी कामयाबियों को और मजबूत करने और कैंपेन के दौरान अपनाए गए सबसे अच्छे तरीकों को बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है। इसमें साफ-सफाई, रिसोर्स का अच्छा मैनेजमेंट, पेंडिंग मामलों का समय पर निपटारा और बेहतर पैसेंजर सर्विस पर जोर दिया जा रहा है।

बालक सगन लाल को मिला नया जीवन, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सफल उपचार के बाद लौटा घर

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम मातला निवासी पांच वर्षीय बैगा जनजातीय के बालक सगन लाल धुर्वे के सफल उपचार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की टीम तथा सहयोगी विभागों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। आरबीएसके की टीम ने संवेदनशीलता, समर्पण और निरंतर प्रयासों से यह सुनिश्चित किया कि कठिन परिस्थितियों के कारण कोई भी बच्चा उपचार से वंचित न रहे। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार के पांच वर्षीय सगन लाल को जीभ के असामान्य रूप से बढ़ने (मैक्रोग्लॉसिया) तथा लिम्फेटिक/वैस्कुलर मलफॉर्मेशन की समस्या थी। आरबीएसके टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान बीमारी की पहचान कर उपचार के प्रयास शुरू किए। परिजनों की आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों और अंधविश्वास के कारण अस्पताल पहुंचने में आ रही कठिनाइयों के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी।

स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस प्रशासन के समन्वित प्रयासों से बालक को जिला चिकित्सालय बालाघाट से बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचाया गया। 30 सितंबर 2026 को उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. विकेश अग्रवाल की निगरानी में उपचार किया गया और 8 अक्टूबर 2026 को सफल उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद बालक को सकुशल घर पहुंचाया गया।

राजधानी भोपाल के विकास कार्यों को गति देने मंत्री सारंग ने दिए निर्देश

1 से 5 नवंबर तक चलेगा विशेष सफाई अभियान, खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर को आकर्षक स्वरूप में करें विकसित

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित प्रतीक्षाकक्ष में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर भोपाल में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित कार्यों के शीघ्र निराकरण, सीवेज कार्यों के बाद सड़कों के व्यवस्थित पुनर्स्थापन, स्वच्छता अभियान और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री रामप्रकाश अहिरवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



लंबित प्रस्तावों का शीघ्र हो निराकरण

मंत्री श्री सारंग ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में लंबित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। नगर निगम मुख्यालय स्तर पर लंबित प्रस्तावों का शीघ्र निराकरण कर विकास कार्यों को गति दी जाए, जिससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने सीवेज कार्यों के बाद सड़कों एवं संबंधित स्थलों के पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सीवेज कार्य पूरा होने के बाद सड़क की स्थिति को व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ववत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में वार्ड क्रमांक 58 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया जाएगा।

1 से 5 नवंबर तक विशेष सफाई अभियान

भोपाल में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंत्री श्री सारंग ने 1 से 5 नवंबर तक विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। अभियान के अंतर्गत जोनवार कार्ययोजना बनाकर व्यवस्थित तरीके से सफाई कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार नगर निगम के अन्य जोन से भी श्रमिकों और मशीनरी का उपयोग किया जाए। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सफाई कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। मंत्री श्री सारंग ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा कि सफाई कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं पूरी सफाई किट उपलब्ध कराई जाए। अभियान के दौरान स्वच्छता के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर को दिया जाएगा आकर्षक स्वरूप

मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर को आकर्षक, सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित स्वरूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाए। परियोजना को बेहतर स्वरूप देने के लिए विकास कार्यों की रूपरेखा और समय-सीमा निर्धारित की जाए।

समय-सीमा और गुणवत्ता पर विशेष जोर

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। प्रत्येक परियोजना के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर प्रगति की निगरानी की जाए, जिससे कार्य अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और बेहतर नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

बैरसिया की पूजा कुशवाहा का नेशनल स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चयन: स्वामी विवेकानंद कॉलेज का बढ़ाया गौरव



एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

बैरसिया। खेल प्रतिभा और मेहनत के दम पर बैरसिया की छात्रा पूजा कुशवाहा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज, बैरसिया की छात्रा पूजा कुशवाहा का अंतर विश्वविद्यालय (नेशनल) स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वह आगामी प्रतियोगिता में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी इस उपलब्धि से कॉलेज परिवार में हर्ष का माहौल है और क्षेत्र का गौरव बढ़ा है।

पूजा कुशवाहा के चयन पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजू तिलंथे ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। और उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है खेलों से न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण जैसे गुणों का भी विकास होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि पूजा कुशवाहा आगामी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय और कॉलेज का नाम रोशन करेंगी। उनकी यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी और उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉ. अमित वर्मा सहित समस्त कॉलेज स्टाफ ने पूजा कुशवाहा को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कॉलेज परिवार को उम्मीद है कि पूजा अपनी मेहनत, लगन और खेल कौशल के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करेंगी।

भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा नियुक्ति की मांग को लेकर चक्काजाम

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सड़क पर बैठकर थालियां बजाईं और नारेबाजी की। इससे चौराहे पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाकर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया, तो कई अभ्यर्थी सड़क पर लेट गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। महिला अभ्यर्थियों को पुलिसकर्मियों द्वारा खींचकर हटाने की कोशिश के दौरान भावुक माहौल बन गया।



प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक महिला ने रोते हुए कहा, आपको कुछ शर्म नहीं आ रही, हमें ऐसे खींचकर ले जा रहे हैं। उस बेचारी दीदी का आज व्रत है। एक अन्य महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वे कई दिनों से सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी ने भावुक होकर कहा, अगर नियुक्ति नहीं देना है तो हमें जहर दे दो। हमें घर जाने के लिए क्या मार दो आप लोग? क्या हमें जीने का हक नहीं है?ह्व अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियुक्ति और पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने और परीक्षाएं पास करने के बावजूद जॉइनिंग नहीं मिलने से उनमें नाराजगी बढ़ रही है।

पुलिस जब महिला अभ्यर्थियों को पकड़कर बस की ओर ले जाने लगी, तो उन्होंने विरोध किया। एक अभ्यर्थी ने कहा, हमको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। हम भी तो शिक्षक हैं दो-दो एग्जाम इतनी मेहनत से पास किए हैं। हम ऐसे ही थोड़ी न बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सफलता हासिल करने के बाद भी नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं और उनके परिवारों पर भी इसका असर पड़ रहा है।

अभ्यर्थियों ने भर्ती नियमों के क्लॉज-49 और दस्तावेज सत्यापन के दौरान डीएलएड डिग्री से संबंधित शर्तों का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि पात्रता और भर्ती नियमों से जुड़े विषयों का स्पष्ट समाधान किया जाना चाहिए, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर जॉइनिंग दी जा सके। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि शासन और संबंधित विभाग उनकी समस्या पर स्पष्ट निर्णय लें। उनका कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि नियुक्ति को लेकर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।

बसों में शहर-गांव का सफर सुविधाजनक बना रही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, डिजिटल तकनीक से आसान हो रहा टिकिट लेने का अनुभव

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्यप्रदेश सरकार आम लोगों को बेहतर, सुरक्षित और किफायती बस परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश परिवहन विजन 2030-31 के तहत शहरों से लेकर गांवों तक बस सेवाओं का विस्तार करने, यात्रियों को निर्धारित समय पर बस उपलब्ध कराने, डिजिटल और मोबाइल ऐप आधारित टिकिट व्यवस्था लागू करने और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों की यात्रा को आसान बनाना और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। यात्री परिवहन विजन समिट-2026 की अनुशंसाओं के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरूआत हो चुकी है। प्रदेश में 351 बसें मध्यप्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में दौड़ रही हैं। योजना अंतर्गत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में डिजिटल तकनीक से बस यात्रियों का टिकिट लेने का अनुभव आसान हो रहा है। साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर की सिटी बसों में चलो मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

5,000 से अधिक बस मार्ग होंगे विकसित, 30 लाख से ज्यादा यात्रियों को मिलेगी सुविधा

मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड के विजन 2030-31 के तहत प्रदेश में सार्वजनिक बस परिवहन का व्यापक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 15,000 से अधिक सार्वजनिक बसों का संचालन होगा और 5,000 से अधिक बस मार्ग विकसित किए जाएंगे। विजन के अनुसार, प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश में 180 से अधिक बस डिपो एवं टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस नेटवर्क से सीधा जोड़ा जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, रोजगार, इलाज, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

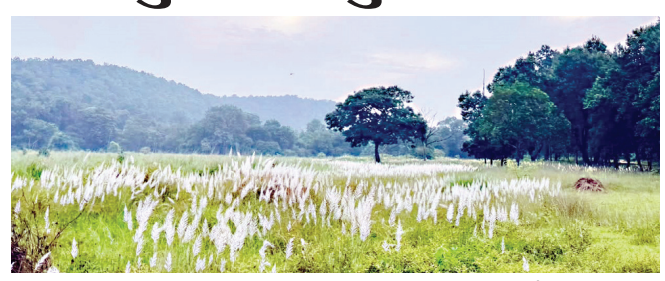
मोबाइल पर मिलेगी बसों की लोकेशन, डिजिटल टिकटिंग की सुविधा

प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत यात्रियों को मोबाइल पर बसों की लोकेशन, उनके आने-जाने का समय और निर्धारित मार्ग की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इंदौर में सिटी बस यात्रियों के लिए बस पास की व्यवस्था भी की गई है। डिजिटल टिकट और ऑनलाइन भुगतान से यात्रियों के लिए टिकट लेना आसान हुआ है। टिकटों की डिजिटल निगरानी से किराये से होने वाली आय में पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बसों में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा प्रणालियां लगाने से यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है।

पीपीपी मॉडल से बसों का संचालन

प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत निजी बस संचालकों का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। बसों के संचालन, समय-सारणी, यात्री सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। बस संचालकों को बसों के रखरखाव, चार्जिंग और संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही चालकों, परिचालकों और अन्य संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकें।

चक्रवात अरनब के प्रभाव से सुहावना हुआ मौसम



एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अरनब के प्रभाव से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित उमरिया एवं शहडोल जिले में मौसम सुहावना बना हुआ है। क्षेत्र में हल्की से मध्यम असामयिक वर्षा के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही हैं। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है तथा प्रत्येक परिस्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

चक्रवात अरनब ने 28 अक्टूबर की रात्रि लगभग एक बजे आंध्र प्रदेश के बापटला से विशाखापत्तनम के बीच नरसापुर एवं यनम के निकट समुद्र तट पर प्रवेश किया। इस दौरान हवाओं की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। तटीय क्षेत्रों में प्रभाव डालने के बाद चक्रवात के अवशेष के रूप में नम हवाएं मध्य भारत की ओर बढ़ी हैं, जिसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार, अब तक वन्यप्राणियों की हानि, वृक्ष गिरने अथवा मार्ग अवरुद्ध होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में स्थिति सामान्य एवं नियंत्रण में है।

स्वामी **एक सत प्रयास जनकल्याण समिति** के लिए मुद्रक प्रकाशक एवं **सम्पादक अमित शर्मा** द्वारा 401, जीवन छाया अपार्टमेंट, राइट टाउन, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से प्रकाशित एवं विनर प्रिंटर्स, सिविक सेंटर, तीन बत्ती चौराहा, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से मुद्रित। पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI-MPHIN/2019/78787, स्थानीय संपादक: विक्रम सिंह। E-mail:eksatbulletin@gmail.com, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9893311784